हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

43वीं बोर्ड बैठक : एजेण्डा

दिनॉक 21-7-2007 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थानः- मेला नियंत्रण भवन, हरिद्वार

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ सं0
	भाग–अ	
1.	प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–12–2006 की कार्यवाही की पुष्टि	1
2.	प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–12–2006 के कार्यवृत्त का अनुपालन	1 से 6 तक
	भाग–ब	
3.	प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का प्रस्तावित आय–व्ययक	7 से 11 तक
4.	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग	12 से 13 तक
5.	प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक व अन्य सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया विषयक प्रस्ताव ।	14
6.	प्राधिकरण उपयोगार्थ लैण्ड बैंक का प्रस्ताव	15
7.	हरिपुर कलॉ जिला देहरादून के खसरा नं0–92(ख) दिल्ली नीतिपास रोड बी0पी0कारपोरेशन लि0 के निर्माण हेतु श्री मनजीत जौहर के आवेदन पर विचार।	16
8.	ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खसरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	17
9.	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आवश्यक स्टाफ हेतु पद सृजन का प्रस्ताव ।	18 से 19
10.	प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का स्थायीकरण किये जाने का प्रस्ताव ।	20
11.	प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में।	21
12.	सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के निवास की स्वीकृत किराये की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।	22
13.	हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र की महायोजना भाग–(अ) प्रारूप–2025 पर चर्चा ।	23
14.	अधिनियम की धारा 28–क के अधीन सील खोले जाने के शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव ।	24
15.	नजूल–नीति, आवास–नीति तथा भू–माफियाओं पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में ।	25 से 27 तक
16.	प्राधिकरण वाहनों को निष्प्रोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार।	28
17.	विनियमित क्षेत्र /विकास प्राधिकरण के 20 वर्ष से अधिक के रिकार्ड को वीडिंग किये जाने के सम्बन्ध में ।	29
18.	स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–110 दिनांक 29 जून, 2006 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	30
19.	श्री जगतवीर सिंह, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र सं0–84 /2005–06, 89/2006–07 के सन्दर्भ में शमन पर विचार ।	31 से 32 तक
20.	सप्तऋषि चुंगी से ऋषिकेश तक महायोजना–2011 के साथ–साथ हरिद्वार महायोजना–2025 के समावेशित किये जाने के सम्बन्ध में ।	33
21.	प्रस्तावित महायोजना–2025 के दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार में लागू पुरानी महायोजना के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	34
22.	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	35

भाग–(अ)

मद संख्या–43 (1)

विषय–प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 की कार्यवाही की पुष्टि–

प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है अतः निवेदन है कि 42वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि कर दी जाय।

मद संख्या–43 (2)

विषय–प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 के कार्यवृत्त का अनुपालनः–

क.सं.	विषय	निर्णय	अनुपालन
मद सं0–40(1) 37–(06)	**प्राधिकरण की अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।**	जिन 15 कालोनियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है उनके सम्बन्ध में नियमितीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा रहीं है, जिसे समिति से पूर्ण करने की अपेक्षा की गयी। द्वितीय चरण मं अवशेष अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, इसे शीघ्र पूरा किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा कुल 37 अवैध कालोनियॉ चिन्हित की गयी थीं, जिनमें से 15 कालोनियों का नियमिती– करण किया जा चुका है। शेष कालोनियों के संबंध में भू–उपयोग परिवर्तन का बिन्दु निहित है अतः तत्काल इनका विनियमितीकरण कर पाना सम्भव नहीं है। प्राधिकरण की हरिद्वार क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना–2025 इस समय process मे है तथा इसपर आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है। प्राधिकरण की उपरोक्त महायोजना लागू होने के उपरान्त ही महायोजना में प्रदर्शित भू–उपयोग के अनुरूप शेष कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा। अतः *प्रकरण फिलहाल एजेण्डा मद से समाप्त करना उचित होगा।*

प्राधिकरण की 43वीं बोर्ड बैठक दिनांक 1–07–2007 का कार्यवृत्तः–

प्राधिकरण की 43वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–07–2007 को अध्यक्ष/ आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में केन्दीय नियन्त्रण कक्ष, मेला भवन हरिद्वार के सभागार में आयोजित की गयीः–

उपस्थितिः–

1– श्री सुभाष कुमार, आयुक्त गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2– श्री कुँवर राजकुमार, उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3– आनन्द बर्द्धन, जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदेन सदस्य
4– श्री अजय सिंह नबियाल, अपर सचिव, सिचाई	पदेन सदस्य
5– बृज बी0 रतन, एस0टी0सी0पी0 उत्तराखण्ड, देहरादून	पदेन सदस्य
6– श्री नरेन्द्र सिंह, प्रभारी, नगरपंचायत, रानीपुर	पदेन सदस्य
7– श्री सतपाल ब्रम्हचारी, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	पदेन सदस्य
8– श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
9– श्री मनोज द्विवेदी, अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनि की रेती	पदेन सदस्य
10– श्री बी0एल0 शर्मा, अधिशासी अभियंता, उत्तरांचल पेयजल निगम, हरिद्वार	पदेन सदस्य के नामित प्रतिनिधि

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री कुँवर राजकुमार द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः–

भाग–(अ)

मद संख्या–43 (1)

विषय–प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 की कार्यवाही की पुष्टि–

प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी अतः सर्वसम्मति से उक्त कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

Secretary

25.07.2007
Vice-Chairman

Chairman /Commissioner

मद सं0–42 (2)	प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या।	प्राधिकरण के हरिद्वार क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना 41 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गयी थी। बोर्ड बैठक में महायोजना में निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण की आवश्यकता अनुभव की गयी थी:– 1. महायोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 20,000.00 हैक्ट0 का पूर्व महायोजना क्षेत्र से भिन्नता। 2. भू–उपयोग निर्धारण करते समय निरन्तरता ; contiguity) का ध्यान रखा गया है अथवा नही। 3. जनसंख्या का प्रक्षेपण एवं आधारित जनसंख्या वृद्धि का आंकलन औचित्य पूर्ण है। 4. क्या कुम्भ मेला भूमि को यथा स्थित सुरक्षित रखा गया है। 5. क्या बाग एवं वन हेतु भूमि के आरक्षण भू–उपयोग तर्क संगत है? इस प्रयोजनार्थ उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी हरिद्वार, श्री बी0वी0 रतन एस0टीसी0पी0, उत्तरांखण्ड ,देहरादून, सन्त महेन्द्र सिंह, सदस्य विकास प्राधिकरण तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, हरिद्वार की एक समिति गठित की गयी जिससे उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या देने की अपेक्षा की गयी। समिति द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गयी उसे श्री बी0वी0 रतन एस0टी0सी0पी0 द्वारा विस्तार पूर्वक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मित से यह मत व्यक्त किया गया की प्रस्तावित महायोजना एस0टी0सी0पी0 उत्तराखण्ड द्वारा निम्न स्थानों पर जन साधारण के अवलोकनार्थ डिस्प्ले कर दिया जाय:–	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित महायोजना निर्धारित स्थानों पर निम्नानुसार प्रदर्शित की गयी:– दिनांक 5–2–07 से 6–5–07 तक 1– हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय। दिनांक 7–5–07 से 20–6–07 तक 1– बहादराबाद ब्लाक मुख्यालय। 2– तहसील हरिद्वार। 3– हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय। 4– मेला नियन्त्रण भवन। 5– भोपतवाला। महायोजना प्रारूप से संबंधित पुस्तक एवं मानचित्र का भी क्रमशः रू0 260.00 प्रति पुस्तक तथा रू0 150.00 प्रति मानचित्र की दर से विक्रय भी किया जा रहा है। यह सूचना प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तावित महायोजना पर आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु 20 जून .2007 तक की समय सीमा निर्धारित है। महायोजना के और अधिक प्रचार–प्रसार के दृष्टिकोंण से बोर्ड के समक्ष यह भी सुझाव है

मद संख्या–43 (2) विषय–प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 के कार्यवृत्त का अनुपालनः–

मद सं0–43(2)–(i)

विषयः अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि कुल 37 अवैध कालोनियां चिन्हित की गयी थीं जिनमें से 15 कालोनियों का नियमितीकरण किया जा चुका है। शेष 22 कालोनियों के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान महायोजना में इनका भू–उपयोग आवासीय नहीं है, जबकि प्रस्तावित महायोजना–2025 में इनका भू–उपयोग आवासीय प्रस्तावित किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:–

(क) इस आशय का विवरण तैयार कराया जाये कि जिन 15 कालोनियों में नियमितीकरण की कार्यवाही की गयी है उनमें प्राधिकरण को विभिन्न मदों में कितनी–कितनी धनराशि प्राप्त हुयी है, तथा यह भी उल्लेख किया जाय कि नियमितीकरण की अवशेष कार्यवाही में किस–किस मद में कितनी–कितनी धनराशि की आय सम्भावित है।

(ख) कालोनियों के नियमितीकरण के लिये एक cut-off date निर्धारित की जाय (जिस के लिये उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया) तथा उस तिथि तक जितनी भी अवैध कालोनियॉं हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य पूरा किया जाये।

(ग) cut-off date के बाद यदि किसी अनधिकृत कालोनी का विकास प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो उसके लिये सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(घ) जिन अवैध कालोनियों का प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना–2025 में भू–उपयोग आवासीय है उनके सम्बन्ध में नयी महायोजना लागू होने के उपरान्त नियमितीकरण की कार्यवाही की जाये तथा जिन कालोनियों में वर्तमान में भू–उपयोग आवासीय है उनका नियमितीकरण तत्काल किया जाये। इस सम्बन्ध में पार्वतीलोक नामक एक कालोनी का उपाध्यक्ष के द्वारा उल्लेख किया गया, जो उपरोक्त के अतिरिक्त है तथा जिसका भू–उपयोग आवासीय है अतः इस कालोनी के नियमितीकरण के लिये भी तत्परता से कार्यवाही की जाये।

Secretary

25.07.2007

Vice-Chairman

Chairman /Commissioner

		1. बहादराबाद ब्लाक मुख्यालय। 2. तहसील हरिद्वार। 3. हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय। 4. मेला नियन्त्रण भवन। 5. भोपतवाला में ह0वि0प्रा0 तथा एस.टी.पी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से चयनित स्थान। उपरोक्त स्थानो पर जहॉ प्रस्तावित महायोजना प्रदर्शित की जायेगी वहॉ पर एक रजिस्टर भी रखा जायेगा जिसमें महायोजना के सम्बन्ध में जानकारी करने वालों एवं उनके सुझाावों तथा पृच्छाओं को लिपिबद्ध किया जायेगा। निम्न निर्णय भी लिये गये:– 1. नगर नियोजन विभाग द्वारा महायोजना के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये सुयोग्य स्टाफ भी दिया जायेगा। 2. यथा आवश्यकता एस.टी.सी.पी. द्वारा इस प्रयोजनार्थ हरिद्वार विकास प्राधिकरण के स्टाफ की सहायता ली जा सकती है। 3. प्रदर्शित की जाने वाली प्रस्तावित महायोजना में कुम्भ मेला क्षेत्र में कोई परिर्वतन नही किया जायेगा। 4. हरिद्वार रूड़की मार्ग के दोनों ओर हरिद्वार विकास प्राधिकरण की सीमा तक 80–80 मीटर व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित रखा जाय। 5. एस.टी.सी.पी उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित महायोजना के क्षेत्र में लगभग 65 मुख्य बाग हैं। अध्यक्ष / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि इनकी लिस्टिंग कराकर सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण इनका सत्यापन करायें।	कि उपरोक्त महायोजना के भूपतवाला के अतिरिक्त शेष 4 स्थानों पर कम से कम 3 सप्ताह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित कर दिया जाय तथा तद्नुसार ही प्रस्तावित महायोजना सम्बन्धी पुस्तक एवं मानचित्रों के विक्रय की अवधि बढ़ायी जाय। प्रस्तावित महायोजना में उल्लिखित 65 मुख्य बागों की लिस्टिंग का कार्य कराने के लिये 30 जून 2007 तक का समय बढ़ाने के लिये भी बोर्ड से निवेदन है। यह भी सुझाव है कि सचिव के सहयोग हेतु इस समिति में प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को भी नामित कर दिया जाये। प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषयः प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2006 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या–

बार्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना–2025 के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2007 थी। एस0टी0सी0पी0 द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न स्थानों पर जहां महायोजना प्रदर्शित की गयी एवं कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों की कुल संख्या लगभग 600 है। इस प्रकार आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आपत्तियों की सुनवाई के लिये निर्णय इस बैठक के मद संख्या–43(13) में उल्लिखित किया गया है। एस0टी0सी0पी0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 60 बागों की सूची चिन्हित करके प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गयी है। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यह सूची जिलाधिकारी, हरिद्वार को सत्यापन हेतु उपलब्ध करा दी जाये।

उक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया जाय।

मद सं0–43(2)–(iii)

विषयः अध्यक्ष जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में खाली पड़ी भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में:–

बोर्ड को अवगत कराया गया कि जिला पंचायत स्तर से संशोधित मानचित्र दाखिल किया जाना था जो कि अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, अतः इस प्रकरण पर जिला परिषद की ओर से मानचित्र दाखिल करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी। निर्णय लिया गया कि प्रकरण वर्तमान **एजेण्डा मद से समाप्त** किया जाये।

मद सं0–43(2)–(iv)

विषयः श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द, श्रीराम रिसोर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानचित्र संख्या– मान / हरि / 25 / 2006–07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में:–

उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया है अतः प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** करने का निर्णय लिया गया।

मद सं0–43(2)–(v)

विषयः हरिपुर कलॉ देहरादून के खसरा नं0–92 (ख) देहली नीति पास रोड पर बी0पी0कारपोरेशन लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं0– नो0 /हरि0/ 242 / 2006–07 को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण वर्तमान एजेण्डा मद के क्रम 43(7) पर रखा गया है, अतः निर्णय लिया गया कि परिपालन मद से **प्रकरण समाप्त** किया जाये।

Secretary 25.07.2007 Vice-Chairman Chairman/Commissioner

मद सं0–42(3)	**अध्यक्ष जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में खाली पड़ी भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में:–**	जिला पंचायत हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय परिसर में रिक्त भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि जोनिंग रेगुलेशन में विशेष परिस्थितियों में सरकारी / अर्द्ध सरकारी भू–उपयोगों का होटल तथा व्यापारिक उपयोगों हेतु अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा सकता है अतः इस कार्य हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी की इस पर ए.टी.सी.पी. उत्तराखण्ड की राय लेने के बाद ही अनुमति निर्गत की जाय।	**निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
मद सं0–42 (5)	**श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द, श्रीराम रिसोर्ट इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानचित्र संख्या–मान / हरि / 25 / 2006–07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में:–**	उपरोक्त प्रकरण में आवासीय निम्न घनता (आर–2) क्षेत्र में होटल के निर्माण हेतु आवेदन किया जाना संसूचित है। प्रकरण पर एस.टी.सी.पी. द्वारा 24.08.2006 को आख्या दी गयी है जिसके अनुसार निम्न उल्लेख किया गया है:– 1. नियमानुसार 7.5 मीटर से अधिक उंचे भवनों हेतु अग्रभाग में 9.00 मीटर तथा तीनो ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक 5.00 मीटर होगा। 2. अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.25 अनुमन्य होगा। 3. भवन की अधिकतम उंचाई 15 मीटर अनुमन्य है। 4. प्रस्तावित गेस्टरूम ब्लाक के मध्य में भी एक सीढ़ी प्रस्तावित की जानी चाहिये जिससे कि occupant के लिये ट्रेवल डिस्टेन्स नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार हो। 5. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। 6. प्रस्तावित भवन मानचित्र का भूकम्पीय	यह प्रकरण भू–उपयोग के परिवर्तन के मानकों के संबंध में एस0टी0सी0पी0 का मत प्राप्त करने के लिये तथा शासन से निर्धारित गाइड लाइन्स प्राप्त होने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित नीतिगत विषय–वस्तु शासन में विचाराधीन है। जहां तक इस प्रकरण विशेष का प्रश्न है यह आवासीय (आर–2) क्षेत्र में होटल तथा रेस्तरां के निर्माण से संबंधित है। इस संबंध में महायोजना में स्पष्ट प्राविधान है कि आर–2 क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा होटल एवं रेस्तरां बनाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः यह विषय शासन स्तर का न

	दृष्टिकोंण से सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाईन भी बनवाया जाना आवश्यक है। 7. इसके अतिरिक्त रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग आदि के प्राविधान नियमानुसार किये जाने आवश्यक है। प्राधिकरण बो़र्ड के संज्ञान में लाया गया कि महायोजना के प्राविधान के अनुसार आर–2 क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा होटल एवं रेस्तरां बनाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भू–उपयोग परिर्वतन के मानकों के सम्बन्ध में एस.टी.सी.पी. का मत प्राप्त किया जाय तथा **शासनादेश** के अनुसार ही कार्यवाही करते हुये गाइड लाइन्स प्राप्त होने तक प्रकरण को स्थगित रखा जाय।	होकर बोर्ड के स्तर से ही निस्तारण योग्य है। सुझाव है कि इस प्रकरण में एस0टी0सी0पी0 के मतानुसार कार्यवाही करते हुये अध्यक्ष महोदय को अन्तिम निर्णय लेने के लिये अधिकृत कर दिया जाय।

मद सं0–42(17)	**हरिपुर कलॉ देहरादून के खसरा नं0–92 (ख) देहली नीति पास रोड पर बी0पी0कारपोरेशन लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं0– नो0 /हरि0/ 242 / 2006–07 को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।**	उपरोक्त **विषय** पर मानचित्र संख्या–195 / 2005–06 पेट्रोल पम्प के निर्माण हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था। **शासनादेश** संख्या– 4752 दिनांक 1.11.2004 के अनुसार **राष्ट्रीय** एवं प्रान्तीय राजमार्गो पर प्रस्तावित फिलिंग **स्टेशन** की स्वीकृति का प्रकरण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा तथा मानदण्डों के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या भी प्राप्त की जायेगी। उपरोक्त **विषय** पर जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 की संयुक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखी गयी। यह भी विदित हुआ कि पक्षकार द्वारा अनुमति से पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जिसके कारण उसके विरूद्ध प्राधिकरण में वाद संख्या–242 / 2006–07 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में प्राधिकरण के तत्कालीन अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता से **स्पष्टीकरण** लेते हुये उसका विधिवत परीक्षण करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय तथा प्रसंगाधीन प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण पर विचार किया जाय।	यह प्रकरण इस बैठक के एजेण्डा मद संख्या–43(7) पर विचार हेतु पुनः रखा जा रहा है।

भाग–(ब)

<u>मद संख्या– 43(3)</u>

विषयः प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का प्रस्तावित आय–व्ययक।

वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक वास्तविक आय–व्ययक का विवरण बोर्ड के समक्ष रखा गया तथा वर्ष 2007–08 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक का विवरण भी बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की आय व व्यय के मद में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण इन्द्रलोक आवासीय योजना से प्राप्त होने वाली लगभग रू0 122.00 करोड़ की धनराशि है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि इसमें से लगभग रू0 110.00 करोड़ की धनराशि आवेदकों को रिफ़ण्ड की जा चुकी है। उक्त कारण से प्राधिकरण की कुल आय (प्रारम्भिक अवशेष को छोड़कर) रू0 201.58 करोड़ प्रदर्शित की गयी है तथा व्यय रू0 183.90 करोड़ प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में इन्द्रलोक आवासीय योजना के राजस्व की धनराशि को पृथक करते हुये प्राधिकरण की कुल आय रू0 68.06 करोड़ होती है तथा कुल व्यय रू0 50.39 करोड़ होता है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में ट्रांसपोर्ट नगर योजना से लगभग रू0 12.00 करोड़, इन्द्रलोक आवासीय योजना से लगभग रू0 18.00 करोड़ की आय सम्भावित है। प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर लगभग रू0 11.00 करोड़ तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना पर लगभग रू0 5.00 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

25.07.2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman/Commissioner

मद संख्या–43(4)

विषयः इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग।

प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग के कुल 06 भूखण्ड उपलब्ध हैं जिनकी मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलामी कराने का निर्णय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में कन्सल्टैन्ट के माध्यम से सीलड टेक्निकल तथा फाइनेशियल बिड्स के लिये विज्ञापन तैयार कराने के निर्देश प्राप्त हुये थे। यह भी निर्णय लिया गया था कि टेक्निकल बिड्स को पहले खोला जायेगा तथा जो बिडर इसमें qualify करता है केवल उसी की फाइनेशियल बिड खोली जायेगी। इस प्रयोजनार्थ सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता सदस्य रखे गये है तथा यह निर्णय लिया गया कि अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

जब निविदा समिति द्वारा टेक्निकल बिड खोली गयी तो यह पाया गया कि अधिकांशतः एक भूखण्ड के लिये एक ही बिडर qualify कर पाया था तथा निविदायें प्रतिस्पर्धात्मक भी नहीं थी अतः अध्यक्ष महोदय से पुनः सीलड बिड्स आमन्त्रित करने हेतु अनुमति मांगी गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा टेक्निकल बिड कमेटी की संस्तुतियों को बोर्ड में रखे जाने के निर्देश दिये हैं जिसके अनुसार पुनः प्रस्तावित प्रक्रिया में बिडर्स को शर्तों में कुछ शिथिलता दिया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रत्येक भूखण्ड के लिये अधिक संख्या में बिडर्स आ सकें। शर्तों में प्रस्तावित संशोधन निम्नवत् हैं:–

1– प्रत्येक भूखण्ड की अलग–अलग निविदायें मांगी जायें।

2– Net worth प्रत्येक भूखण्ड के सन्दर्भ में रू0 2.00 करोड़ से घटाकर रू0 1.00 करोड़ कर दिया जाय।

3– तीन वर्षों के कुल टर्नओवर की धनराशि जो कि पूर्व में रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी थी उसे रू0 5.00 करोड़ कर दिया जाय।

4– पूर्व में 50–50 अपार्टमेन्ट के दो हाउसिंग काम्पलेक्स के निर्माण का अनुभव अनिवार्य रखा गया था। अब यह प्रस्ताव है कि फर्म द्वारा स्वयं कम से कम 50 अपार्टमेन्ट के एक हाउसिंग काम्पलेक्स का निर्माण किया गया हो।

5– निविदा समिति द्वारा एक पेमेन्ट प्लान भी प्रस्तावित किया गया है जिसके अनुसार भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत निविदा के साथ धरोहर के रूप में जमा करना होगा तथा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि के बाद 15 प्रतिशत और [illegible] प्रस्तावित है कि भूखण्ड के मूल्य के अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान बिना

[illegible]पक विचारापरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का आय–व्ययक निम्नानुसार पारित किया गयाः–

(रू0 लाख में)

आयः–	
प्रारम्भिक अवशेष	13352.13
राजस्व आय	745.00
पूंजीगत आय	6061.00
कुल आय	6806.00
कुल आय (प्रारंभिक अवशेष सहित)	20158.13
व्यय	
राजस्व व्यय	250.00
पूंजीगत व्यय	18140.50
कुल व्यय	18390.50
अन्तिम अवशेष	**1767.63**

उपरोक्तानुसार आय–व्ययक की स्वीकृति के साथ–साथ बोर्ड द्वारा विकास शुल्क एवं शमन शुल्क में प्रस्तावित आय के लक्ष्य से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी।

प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की बैलेन्स सीट बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या–43(4)

विषयः इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में ग्रुप हाउसिंग के कुल 06 भूखण्ड उपलब्ध हैं जिनकी मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलामी कराने का निर्णय पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया। इस सम्बन्ध में सीलड टेक्निकल तथा फाइनेन्शियल बिड आमन्त्रित की गयीं किन्तु टेक्निकल बिड्स के परीक्षण के समय कई निविदादाताओं की टेक्निकल बिड्स अर्हतायें न पूर्ण करने के कारण निरस्त कर दी गयीं। अन्त में प्रत्येक प्लाट के सापेक्ष केवल एक–एक निविदादाता ही उपलब्ध हो सके थे अतः सन्दर्भित निविदायें अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय द्वारा निरस्त कर दी गयीं। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष टेक्निकल बिड कमेटी की संस्तुतियां प्रस्तुत की गयीं, जिनके अनुसार पुनः प्रस्तावित प्रक्रिया में बिडर्स

25.07.2007

Secretary Vice-Chairman Chairman /Commissioner

ब्याज के दो माह में करना होगा अथवा यह भुगतान आठ तिमाही किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।

6– भूखण्ड का कब्जा प्रथम किश्त जमा होने के बाद तथा शेष राशि की बैंक गारण्टी दिये जाने पर ही देना प्रस्तावित है।

7– भूखण्ड का उपयोग मात्र ग्रुप हाउसिंग के लिये किया जायेगा तथा सम्पूर्ण अथवा विभाजित भूमि के विक्रय का अधिकार बिडर को नहीं होगा।

8– यह भी प्रस्तावित है कि कब्जा प्राप्त करने के दो माह के भीतर फर्म को बिल्डिंग प्लान प्राधिकरण में जमा करना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दो वर्ष में कार्य पूरा करना होगा।

9– यह भी प्रस्तावित है कि फर्म द्वारा कम से कम 50 अपार्टमेन्ट जिसमें निर्माण कार्य कराया गया होगा उसका सक्षम अधिकारी के स्तर से कम्पलीशन प्रमाण–पत्र देना होगा।

10– टेक्निकल बिड में निम्न विवरण दिये जाने की अनिवार्यता होगीः–

i. Details of Staff and tools and plants.
ii. Projects executed.
iii. Completion Certificate of projects executed.
iv. Past experience in performance of such work for which bid has been given.
v. Net worth of the Company and its turn over.
vi. Earnest money /security to be given at the time of giving technical bid.

11– प्रत्येक भूखण्ड के लिये अलग–अलग बिड सील्ड कवर में आमन्त्रित की जायेगी।

12– टेक्निकल तथा फाइनेशियल बिड को खोल कर उनके मूल्यांकन के लिये निर्धारित समिति की संस्तुतियों का मूल्यांकन उपाध्यक्ष स्तर पर किया जायेगा तथा इसपर अध्यक्ष महोदय से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों से संबंधित आवंटन आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उपरोक्त प्रक्रिया विषयक निर्णय प्राधिकरण के बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

मद सं0–43(5)

विषयः प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक व अन्य सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया विषयक प्रस्ताव।

प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्ड तथा स्कूल के लिये आरक्षित भूखण्ड भी हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में धर्मकांटे, पेट्रोल पम्प, ढाबे, शो–रूम, होटल/ रेस्टोरेन्ट, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, धर्मशाला, गोदामों, दुकानों एवं कार्यालयों हेतु भी भूखण्डों का निस्तारण किया जाना है। उक्त के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने के दृष्टिकोंण से प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

1– उपरोक्त सभी सम्पत्तियों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। नीलामी की विस्तृत प्रक्रिया का अनुमोदन प्रदान करने के लिये अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाना उचित होगा।

2– स्कूल के लिये आरक्षित भूखण्ड केवल अर्हतायें पूर्ण करने वाली संस्थाओं को ही किया जायेगा तथा शासनादेशों में यदि भूमि के मूल्य में छूट का कोई प्राविधान है तो उसे आवंटन की प्रक्रिया में यथाआवश्यकता समावेशित किया जायेगा।

3– इन्द्रलोक स्थित एकमात्र व्यवसायिक भूखण्ड की नीलामी की स्वीकृति के लिये अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष सम्पत्तियों के लिये निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण को अन्य किसी बिन्दु पर यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उसके लिये अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना उचित होगा।

सम्पत्तियों के निस्तारण के लिये वैधानिक दृष्टि से प्राधिकरण की ओर से वित्तीय/ प्रशासनिक प्रतिनिधायन अलग से उपलब्ध नहीं है अतः उचित होगा कि बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन भी निश्चित कर दिया जाय। सुझाव है कि उपाध्यक्ष को रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को रू0 10.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू0 15.00 करोड़ की सीमा तक के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने के लिये प्रतिनिधायन किया जा सकता है। रू0 15.00 करोड़ से अधिक धनराशि के योजना से संबंधित प्रस्तावों को प्राधिकरण के बोर्ड से अनुमोदन लेना अनिवार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

को कुछ शिथिलता दिया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा टेक्निकल बिड कमेटी के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गयेः–

(1) निविदादाता का आर0एच0डी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

(2) जहां तक स्टाफ तथा Tools & Plants का प्रश्न है यह भी स्वीकृति प्रदान की गयी कि निविदादाता स्टाफ तथा टूल्स–प्लान्ट्स के लिये किसी अन्य फर्म को co-opt कर सकता है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त स्वीकृति के साथ पुनः सील्ड टेक्निकल व फाइनेन्शियल बिड्स आमन्त्रित करके उनका प्रक्रिया अनुसार निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद सं0–43(5)

विषयः प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक व अन्य सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया विषयक प्रस्ताव।

प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों तथा अन्य सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा सभी सम्बन्धित शासनादेशों को बोर्ड द्वारा अंगीकृत मानते हुये अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की ओर से वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधायन सम्बन्धी आदेश निर्गत हुये हैं उनका अध्ययन करके हरिद्वार विकास प्राधिकरण के लिये वित्तीय व प्रशासनिक प्रतिनिधायन के लिये अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को अन्तिम रूप से अधिकृत कर दिया जाये। सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अब ऐसे प्रकरण बोर्ड बैठक में लाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा जिस विषय पर भी प्राधिकरण को मार्ग–दर्शन की आवश्यकता हो उस सम्बन्ध में अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। अतः यदि आवश्यकता हो तो पत्रावली पर विशेष परिस्थितियों में आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

Secretary

25.07.2007
Vice-Chairman

Chairman /Commissioner

मद स0–43(6)

विषयः प्राधिकरण उपयोगार्थ लैण्ड बैंक का प्रस्ताव ।

प्राधिकरण की 42वी बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.06 को यह अनुभव किया गया था कि भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है तथा विधिक जटिलतायें भी आती हैं अतः स्थानीय निकायों तथा सरकारी विभागों की ऐसी भूमियों को चिन्हित कर लिया जाय जिनकी आवश्यकता उनको न हो तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि resumption/lease/पट्टे इत्यादि पर ली जाय। इस संबंध में नगरपालिका एवं अन्य विभागों से विचार–विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि विभाग ऐसी भूमि को जिनकी काफी समय से उन्हें आवश्यकता नहीं है उन्हें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विकास प्राधिकरण को विक्रय कर दें। बैठक में उपाध्यक्ष तथा जिलाधिकारी–हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी भूमियों को चिन्हित करने का निर्णय भी लिया गया।

उपरोक्त के संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार का अभिमत है कि भूमि की उपयुक्तता के बारे में प्राधिकरण द्वारा ही निर्णय लिया जाना उचित होगा तथा बोर्ड के समक्ष प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि का विवरण रखा जाना उचित होगा ताकि प्राधिकरण के बोर्ड की सैद्धान्तिक सहमति ऐसी भूमि को क्रय करने के लिये प्राप्त की जा सके। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित भूमि प्राधिकरण की योजनाओं के लिये उपयुक्त पायी गयीः–

नगर पालिका परिषद , हरिद्वार

1. ग्राम देवपुरा मुस्तहकम की 7.835 हेक्टेयर भूमि मूल्यांकन रू0–1,76,28,750.00
2. मिस्सरपुर मुस्तहकम की 9.000 हेक्टेयर भूमि मूलयांकन रू0–36,00,000.00
3. मायापुर की 0.205 हेक्टेयर भूमि मूल्यांकन रू0–3,07,50,000.00
4. ज्वालापुर की 1.446 हेक्टेयर भूमि मूल्यांकन रू0–32,53,500.00

राजस्व भूमि (कास्तकारी)

1. सलेमपुर महदूद व रावली महदूद की कृषि भूमि 80.00 हेक्टेयर भूमि मूल्यांकन रू0–4,80,000.00

उ0प्र0 लघु उद्योग की भूमि

1. अहमदपुर कड़च्छ, ज्वालापुर की 26305 वर्ग मीटर भूमि मूल्यांकन रू0–5,26,10,000.00

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं भूमि क्रय करने के लिये सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

मद सं0–43(6)

विषयः प्राधिकरण उपयोगार्थ लैण्ड बैंक का प्रस्ताव ।

प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका परिषद, हरिद्वार की भूमि प्राधिकरण को विक्रय करने के चार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गये। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि इन प्रस्तावों पर सहमति देने में कठिनाई है क्योंकि शासन के नगर विकास विभाग द्वारा इन स्थानों को उत्तरांचल जल संस्थान की योजनाओं के लिये चयनित कर लिया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी–हरिद्वार व उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 संयुक्त रूप से शासकीय व अन्य भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के बारे में परस्पर चर्चा करके सहमति बना लें तथा उक्त सहमति के आधार पर भूमि क्रय करने अथवा भूमि अध्याप्ति के प्रस्ताव तैयार कराकर उनपर कार्यवाही की जाये। आयुक्त/ अध्यक्ष को इन प्रस्तावों पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं के लिये जिस भूमि का प्रस्ताव किया जाये वह महायोजना के प्राविधानों के अनुरूप हो। इस निर्णय के साथ प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद सं0–43(7)

विषयः हरिपुरकलां, जिला देहरादून के खसरा न0–92 (ख) दिल्ली नीतिपास रोड़ पर बी0पी0 कारपोरेशन लि0 के निर्माण हेतु श्री मन्जीत जौहर के आवेदन पर विचार ।

श्री मन्जीत जौहर द्वारा हरिपुर कला, देहरादून स्थित खसरा नं0 92 मि0 पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया था किन्तु पक्षकार द्वारा अनुमति से पूर्व निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा–27/ 28 के अन्तर्गत वाद संख्या 242/ 2006–07 योजित किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त इस प्रकरण पर बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिये गयेः–

(1) प्रकरण का शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर लिया जाये।
(2) इस प्रकरण पर एस0टी0सी0पी0 का स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त पेट्रोल पम्प के प्रकरण में समस्त शासनादेशों के प्राविधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं?
(3) जिलाधिकारी–हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 की संयुक्त रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जाये।

25-07-2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman /Commissioner

मद सं0–43(7)

विषयः हरिपुरकलां, जिला देहरादून के खसरा न0–92 (ख) दिल्ली नीतिपास रोड़ पर बी0पी0 कारपोरेशन लि0 के निर्माण हेतु श्री मन्जीत जौहर के आवेदन पर विचार ।

श्री मन्जीत जौहर द्वारा हरिपुर कला, देहरादून स्थित खसरा नं0 92 मि0 पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने का आवेदन दिनांक 28.10.2005 को किया गया था। पक्षकार द्वारा अनुमति से पूर्व निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा–27/ 28 के अन्तर्गत वाद संख्या 242/ 2006–07 योजित किया गया। यह प्रकरण प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया था किन्तु तत्समय बोर्ड द्वारा इस निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया।

वस्तुतः यह एक पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन/ सर्विस स्टेशन से संबंधित प्रकरण है जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा है तथा शमन मानचित्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं। प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष पुनः विचार हेतु इस सुझाव सहित प्रस्तुत है कि इसमें जिलाधिकारी तथा उपाध्यक्ष की संयुक्त रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है अतः पूरा प्रकरण एस0टी0सी0पी0 की राय के अनुसार निस्तारित करने के लिये अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को अधिकृत कर दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि शमन की कार्यवाही निरीक्षण की तिथि दिनांक 27.12.2006 तक प्रारम्भ नहीं हुयी थी। जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष की संयुक्त आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शमन की कार्यवाही से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–43(8)

विषयः ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खसरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

ऋषिकेश नगर के विवादित खसरा नं0 74, 84, 218, 276, 279, तथा 298 के संबंध में Z.A. & L.R. Act के तहत स्वत्व संबंधी प्रकरण न्यायालय के विचारार्थ थे जिसके कारण विकास प्राधिकरण द्वारा 02.03.1996 से इन विवादित खसरों में मानचित्र की स्वीकृति पर रोक लगा दी गयी।

दिनांक 07.02.1998 को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विवादित खसरों के संबंध में प्रस्तुत किये गये मानचित्रों की स्वीकृति के लिये राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने की अनिवार्यता होगी। प्रारम्भ में यह अनापत्ति उप–जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से अनुमन्य थी किन्तु बाद में यह अनापत्ति जिलाधिकारी स्तर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था।

ऋषिकेश में मानचित्रों की स्वीकृति न प्रदान किये जाने पर समय–समय पर कठिनाइयां आ रही हैं तथा यह भी देखा जा रहा है कि मानचित्र न स्वीकृत किये जाने की दशा में स्थानीय व्यक्ति दिन में या रात में अप्रत्यक्ष रूप से अवैध निर्माण कर लेते हैं। ऐसे अवैध निर्माणों पर अधिनियम की धारा–27/ 28 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा रही है किन्तु उनका नियमितीकरण अथवा ऐसे निर्माण कार्यों का शमन प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रकरण प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष विचार–विमर्श करके मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिये जाने के मन्तव्य से प्रस्तुत है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण का उपरोक्तानुसार परीक्षण कर लिया जाये तथा इसपर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय को अधिकृत किया जाये।

प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद सं0–43(8)

विषयः ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खसरों के सम्बन्ध में।

ऋषिकेश नगर के विवादित खसरा नं0 74, 84, 218, 276, 279, तथा 298 के संबंध में Z.A. & L.R. Act के तहत एक बड़ा भूभाग विवादित है। इसमें स्थगनादेश के कारण मानचित्रों की स्वीकृति पर रोक लगायी गयी थी। दिनांक 7–2–1998 की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति के लिये राजस्व विभाग की अनापत्ति अनिवार्य होगी।

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खसरों के सम्बन्ध में मौके पर यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि किस पक्ष की भूमि कहां पर स्थित है अतः यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को वर्तमान में स्थगित रखा जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि परगनाधिकारी, ऋषिकेश को मानचित्रों से सम्बन्धित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जा चुका है अतः वे ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्रों के क्रम में विधिक व स्थलीय स्थिति देखते हुये कार्यवाही करें। इस observation के साथ प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद सं0–43(9)

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आवश्यक स्टाफ हेतु पद सृजन का प्रस्ताव ।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 49 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 14 पद रिक्त हैं। उपसचिव, अधिशासी अभियंता, नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, वास्तुविद सहायक, मुख्य वित्त अधिकारी, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक तथा विधि निरीक्षक, /सहायक का एक–एक पद इस समय रिक्त है। सहायक अभियंता के 04 पदों के सापेक्ष 03 पद रिक्त हैं तथा अवर अभियंताओं के 06 पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त है। प्राधिकरण में इस समय एक सहायक अभियंता तथा 03 अवर अभियंताओं से कार्य लिया जा रहा है। एक अवर अभियंता ऋषिकेश में तैनात हैं, एक अवर अभियंता निर्माण कार्य देख रहे हैं तथा कुल मिलाकर केवल एक ही अवर अभियंता हरिद्वार में कार्य करने के लिये अवशेष रह

Secretary Vice-Chairman 25-07-2007 Chairman /Commissioner

मद सं0–43(9)

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आवश्यक स्टाफ हेतु पद सृजन का प्रस्ताव ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 49 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 14 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण *संलग्नक–1* (पृष्ठ–36) पर है। उपसचिव, अधिशासी अभियंता, नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, वास्तुविद सहायक, मुख्य वित्त अधिकारी, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक तथा विधि निरीक्षक, /सहायक का एक–एक पद इस समय रिक्त है। सहायक अभियंता के 04 पदों के सापेक्ष 03 पद रिक्त हैं तथा अवर अभियंताओं के 06 पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त है। प्राधिकरण में इस समय एक सहायक अभियंता तथा 03 अवर अभियंताओं से कार्य लिया जा रहा है। एक अवर अभियंता ऋषिकेश में तैनात हैं, एक अवर अभियंता निर्माण कार्य देख रहे हैं तथा कुल मिलाकर केवल एक ही अवर अभियंता कार्य करने के लिये अवशेष रह जाते हैं क्योंकि एक अवर अभियंता ट्रैप केश के कारण निलम्बित चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राधिकरण में नियोजन अनुभाग का कार्य केवल 2–2 मानचित्रकारों एवं सर्वेयरों तथा एक ट्रेसर के द्वारा चलाया जा रहा है। लेखा अनुभाग में केवल एक कैशियर उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्राधिकरण की Regulatory and mandatory गतिविधियों में स्टाफ की भारी समस्या है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिये शासन से बार–बार अनुरोध किया गया है किन्तु प्रदेश स्तर पर स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण को आवश्यक काम–चलाऊ स्टाफ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मुख्य समस्या प्राधिकरण में पदों की कमी की भीं है तथा यदि अवशेष स्टाफ की पूर्ति शासन द्वारा कर भी दी जाय तो भी प्राधिकरण में पदों की कमी बनी रहेगी जो प्राधिकरण के फैले हुये कार्यक्षेत्र एवं कार्य कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

प्राधिकरण में सहायक अभियंता के 04 पद स्वीकृत हैं किन्तु अवर अभियंताओं के केवल 06 पद ही स्वीकृत हैं। जबकि इन पदों की संख्या लगभग दो गुनी या कम से कम 10 होनी चाहिये। इसी प्रकार नियोजन अनुभाग में नगर नियोजक के अतिरिक्त सहायक नगर नियोजक तथा वास्तुविद संहायक का केवल एक–एक पद है। कार्य की अधिकता को देखते हुये तथा कुम्भ मेले के नियोजन में प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग को लगाये जाने को दृष्ठिगत रखते हुये आवश्यक है कि प्राधिकरण में कम से कम 01 सहायक नगर नियोजक, एक वास्तुविद सहायक, 01 ट्रेसर तथा 01 सर्वेयर के पद और स्वीकृत किये जाने चाहिये। इसी प्रकार लेखा अनुभाग में लेखाकार व कैशियर के अतिरिक्त कम से कम 02 लेखा लिपिकों के पद भी स्वीकृत किये जाने चाहिये। प्राधिकरण के कम्प्यूटरीकरण की विशद योजनाओं को देखते हुये कम से कम एक डाटा एन्ट्री आपरेटर तथा कम से कम 01 साफ्टवेयर इंजीनियर/ प्रोग्रामर के और पदों की आवश्यकता है। प्राधिकरण में एक स्टोर कीपर व रिकार्ड कीपर का भी पद होना आवश्यक है तथा वरिष्ठ लिपिक का कम से कम 01 और पद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में सम्पत्ति अधिकारी का भी कोई पद स्वीकृत नहीं है जिसकी नितान्त आवश्यकता है। इसके साथ–साथ सम्पत्ति लिपिक का भी कम से कम 01 पद और होना चाहिये। चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालकों के 03 पद ही स्वीकृत हैं जबकि प्राधिकरण के 2–2 कार्यालय क्रमशः हरिद्वार व ऋषिकेश में हैं। इस दृष्टिकोण से एक स्वीपर, दो चौकीदार, दो चपरासी व दो वाहन चालकों के और पद

स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार उद्यान अनुभाग में में उद्यान निरीक्षक के साथ एक उद्यान अधीक्षक और उसके नीचे एक उद्यान लिपिक का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार प्राधिकरण में निम्न पदों की और आवश्यकता है:–

अवर अभियंता	04
सहायक नगर नियोजक	01
वास्तुविद सहायक	01
ट्रेसर	01
सर्वेयर	01
लेखा लिपिक	02
डाटा एन्ट्री आपरेटर	01
साफ्टवेयर इंजीनियर/ प्रोग्रामर	01
स्टोर कीपर	01
रिकार्ड कीपर	01
वरिष्ठ लिपिक	01
सम्पत्ति अधिकारी	01
सम्पत्ति लिपिक	01
स्वीपर	01
चौकीदार	02
चपरासी	02
वाहन चालक	02
उद्यान अधीक्षक	01
उद्यान लिपिक	01

उक्त पदों के सापेक्ष भुगतान प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों एवं स्रोतों से ही किये जायेगा। प्रकरण प्राधिकरण के विचारार्थ इस निवेदन के साथ प्रस्तुत है कि कृपया नये पदों की स्वीकृति हेतु शासन को पद सृजन के लिये प्रस्ताव भेजे जाने ...ति प्रदान करने का कष्ट करें।

जाते हैं क्योंकि एक अवर अभियंता ट्रैप केस के कारण निलम्बित चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राधिकरण में नियोजन अनुभाग का कार्य केवल 2–2 मानचित्रकारों एवं सर्वेयरों तथा एक ट्रेसर के द्वारा चलाया जा रहा है। लेखा अनुभाग में केवल एक कैशियर उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्राधिकरण की Regulatory and mandatory गतिविधियों के क्रियान्वयन में स्टाफ की भारी समस्या है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिये शासन से बार–बार अनुरोध किया गया है किन्तु प्रदेश स्तर पर स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण को आवश्यक काम–चलाऊ स्टाफ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

अपर सचिव, सिंचाई द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सिचाई विभाग से भी अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु ऐसे प्रकरणों में यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का पद प्रतिनियुक्ति पर आफर किया जाय। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से आवश्यक पत्राचार करते हुये प्राधिकरण में अभियन्त्रण स्टाफ की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाये।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्टाफ की कमी का उल्लेख करते हुये विभिन्न अनुभागों में नये पदों हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्न पदों के सृजन के लिये सहमति प्रदान की गयी:–

1–	अवर अभियंता	04 पद
2–	सहायक नगर नियोजक	01 पद
3–	वास्तुविद सहायक	01 पद
4–	ट्रेसर	01 पद
5–	सर्वेयर	01 पद
6–	लेखा लिपिक	02 पद
7–	सम्पत्ति अधिकारी	01 पद
8–	सम्पत्ति लिपिक	01 पद

प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की outsourcing के माध्यम से व्यवस्था की जाये।

प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25.07.2007

Vice-Chairman

Chairman /Commissioner

Secretary

मद संख्या–43(10)

विषयः प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का स्थायीकरण किये जाने का प्रस्ताव ।

शासनादेश संख्या–1082–1/ 11–4–1987 दिनांक 20–06–1987 के द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर नियुक्ति/ पदोन्नति/ स्थायीकरण तथा दक्षतारोक पार करने आदि के समस्त अधिकार संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्षों में निहित हो गये थे तथा उक्त शासनादेश में शासन द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अकेन्द्रीयित सेवा के अधिष्ठान से सम्बन्धित कोई भी मामला शासन को संदर्भित न किया जाय। शासन द्वारा केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों/ अधिकारियों के स्थायीकरण आदि की कार्यवाही समय–समय पर की जाती रही है परन्तु अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है।

अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु उपरोक्त शासनादेश के अर्न्तगत उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है अतः प्राधिकरण के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को उनके सेवा अभिलेखों का परीक्षण करते हुये नियमानुसार स्थाई करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–43(10)

विषयः प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का स्थायीकरण किये जाने का प्रस्ताव ।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–1082–1/ 11–4–1987 दिनांक 20–06–1987 के द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर नियुक्ति/ पदोन्नति/ स्थायीकरण तथा दक्षतारोक पार करने आदि के समस्त अधिकार संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्षों में निहित हो गये थे तथा उक्त शासनादेश में शासन द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अकेन्द्रीयित सेवा के अधिष्ठान से सम्बन्धित कोई भी मामला शासन को संदर्भित न किया जाय। शासन द्वारा केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों/ अधिकारियों के स्थायीकरण आदि की कार्यवाही समय–समय पर की जाती रही है परन्तु अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है।

अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु उपरोक्त शासनादेश के अर्न्तगत उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है अतः प्राधिकरण के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को उनके सेवा अभिलेखों का परीक्षण करते हुये नियमानुसार स्थाई करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसका संज्ञान लेते हुये प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद सं0–43(11)

विषयः प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में विधिक कार्य हेतु श्री गोपाल कृष्ण शर्मा को अनुबन्ध पर रखा गया है। दिनांक 21–12–1999 में उनके अनुबन्ध की दरें रू0 6000/– प्रति माह निर्धारित की गयी थीं। प्राधिकरण के बोर्ड से अनुरोध किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह धनराशि अत्यधिक कम है अतः श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के अनुबन्ध की दरों

Secretary

25.07.2007

Vice-Chairman

Chairman /Commissioner

मद सं0–43(11)

विषयः प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में विधिक कार्य के निस्तारण हेतु प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.94 के मद सं0–12(8) में श्री गोपाल कृष्ण शर्मा को प्राधिकरण अधिवक्ता को रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । तदोपरान्त प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.12.99 के मद संख्या 19 में इनकी अनुबन्ध दरें रू0–4500.00 बढ़ाकर रू0–6000.00 की गयी थी ।

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा , प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा दरें बढ़ाकर रू0–12,000.00 किये जाने का अनुरोध प्राधिकरण में किया गया है। उक्त पारिश्रमिक दर रू0–6000.00 अनुमोदन के लगभग 07 वर्ष व्यतीत हो चुके है । अतः प्रस्ताव है कि कालान्तर में हुई महंगाई बृद्धि को ध्यान में रखते हुए इनका पारिश्रमिक रू0–10,000.00 कर दिया जाये।

मद सं0–43(12)

विषयः सचिव , हरिद्वार विकास प्राधिकरण के निवास की स्वीकृत किराये की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सचिव के निवास हेतु कोई भवन नहीं है । सचिव के निवास व्यवस्था हेतु प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.93 में मद सं0–11 में बोर्ड के निर्णय अनुसार 159 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक भवन किराये पर लिये जाने तथा भवन किराया रू0–2,000.00 प्रति माह प्राधिकरण से वहन किये जाने तथा उनके वेतन से 10 प्रतिशत आवास भत्ते की कटौती किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था ।

कालान्तर में हुई मंहगाई बृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव है कि सचिव आवास हेतु भवन किराया रू0–5000.00 प्रति माह स्वीकृत कर दिया जाये।

को बढ़ाकर रू0 10,000/– प्रति माह कर दिया जाये। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव का अस्थाई रूप से अग्रिम आदेशों तक बढ़ाने की सहमति प्रदान की गयी।

मद सं0–43(12)

विषयः सचिव , हरिद्वार विकास प्राधिकरण के निवास की स्वीकृत किराये की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सचिव के निवास हेतु प्राधिकरण की ओर से कोई आवासीय सुविधा नहीं है तथा सचिव के प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.93 को सचिव के आवास का किराया रू0 2000/– प्रति माह प्राधिकरण से वहन करने तथा सचिव के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि सचिव के आवास हेतु किराये की धनराशि की सीमा रू0 2000/–. से बढ़ाकर रू0 5000/– स्वीकृत कर दी जाये।

सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या–43(13)

विषयः हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग–(अ) प्रारूप–2025 पर चर्चा ।

हरिद्वार विकास क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना भाग–(अ) प्रारूप–2025 कई स्थानों पर जनसाधारण के अवगतार्थ प्रदर्शित किया गया। आपत्तियों के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2007 थी। एस0टी0सी0पी0 द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न स्थानों एवं कार्यालयों में प्राप्त कुल आपत्तियों की संख्या लगभग 600 है जिनकी सुनवाई प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जानी है। एस0टी0सी0पी0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस समिति में केवल तीन सदस्य ही नामित किये जो सकते है। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना की आपत्तियों की सुनवाई हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया गयाः–

1. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार — अध्यक्ष (आवश्यकतानुसार वे अपने स्थान पर सचिव, ह0वि0प्रा0 को समिति की अध्यक्षता के लिये नामित कर सकेंगे)
2. एस0टी0सी0पी0(उत्तराखण्ड) द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य सचिव
3. शासन के आवास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

25.07.2007

Vice-Chairman

Chairman /Commissioner

मद संख्या–43(13)

विषयः हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग–(अ) प्रारूप–2025 पर चर्चा ।

हरिद्वार विकास क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना भाग–(अ) प्रारूप–2025 दिनांक 20 जून 2007 तक विभिन्न स्थानों पर जनसाधारण के अवगतार्थ प्रदर्शित की गयी है। इस सम्बन्ध में काफी आपत्तियां प्राधिकरण में निरन्तर प्राप्त हो रही है जिनकी सुनवाई के लिये एक समिति गठित करना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्ताव है कि प्रस्तावित महायोजना पर आपत्तियों की सुनवाई के लिये निम्नवत् एक समिति गठित कर दी जायः–

1. सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	अध्यक्ष
2. एस0टी0सी0पी0(उत्तराखण्ड) द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य सचिव
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार	सदस्य
5. अध्यक्ष, जिला पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
6. डी0एफ0ओ0 हरिद्वार	सदस्य

आपत्तियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक जो भी आपत्तियां प्राप्त होंगी उनपर सुनवाई करके उक्त समिति अपनी जो आख्या तैयार करायेगी उसे प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:43(14)

विषयः अधिनियम की धारा–28क–2 के अधीन सील खोले जाने के शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तरांचल/उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–28क–1 के अधीन सील लगाये जाने का प्राविधान है । उक्त अधिनियम की धारा–28क–2 के अधीन अधिनियम में प्राविधान के अधीन निर्माण की सील आवश्यक कारण पाये जाने पर खोले जाने का प्रावधान है परन्तु अधिनियम में सील खोले जाने के शुल्क का प्राविधान नहीं है । अतः अनधिकृत निर्माण की सील प्रकिया में हुए व्यय के आधार पर सील शुल्क निर्धारण किये जाने का निम्न प्रस्ताव हैः–

1. 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड/भवन हेतु रू0–5,000.00
2. 101 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक भूखण्ड/भवन हेतु रू0–10,000.00
3. 201 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक भूखण्ड/भवन हेतु रू0–15,000.00
4. 301 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु रू0–5000.00 प्रति 100 वर्गमी. के योग पर ।

अतः सील खोले जाने के शुल्क का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को समिति में यथाआवश्यकता आपत्तियों की सुनवाई के लिये आमन्त्रित करने के लिये उन्हें विशेष आमंत्रित के रूप में सुनवाई में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि एस0टी0सी0पी0 शीघ्र आपत्तियों की क्षेत्र एवं विषयवार लिस्टिंग कर लें तथा यथाशीघ्र समिति द्वारा आपत्तियों की सुनवाई प्रारम्भ की जाये।

मद संख्या:43(14)

विषयः अधिनियम की धारा–28क–2 के अधीन सील खोले जाने के शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव ।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तरांचल/उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–28क–1 के अधीन सील लगाये जाने का प्राविधान है । उक्त अधिनियम की धारा–28क–2 के अधीन अधिनियम में प्राविधान के अधीन निर्माण की सील आवश्यक कारण पाये जाने पर खोले जाने का प्रावधान है परन्तु अधिनियम में सील खोले जाने के शुल्क का प्राविधान नहीं है । अतः अनधिकृत निर्माण की सील प्रकिया में हुए व्यय के आधार पर सील शुल्क निर्धारण किये जाने का निम्न प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गयाः–

1. 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड/भवन हेतु रू0–5,000.00
2. 101 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक भूखण्ड/भवन हेतु रू0–10,000.00
3. 201 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक भूखण्ड/भवन हेतु रू0–15,000.00
4. 301 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु रू0–5000.00 प्रति 100 वर्गमी. के योग पर ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये प्रकरण को **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25.07.2007

Secretary Vice-Chairman Chairman/Commissioner

मद संख्या:43(15)

विषयः नजूल–नीति, आवास–नीति तथा भू–माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु–

नजूल–नीति, आवास–नीति तथा भू–माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु निम्नवत् हैं:–

1– हरिद्वार में नजूल भूमि का प्रबन्ध प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। नजूल की जो भूमि लीज या पट्टे पर दी गयी है उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भूमि भी हो सकती है जो अतिक्रमण आदि से मुक्त हो तथा वर्तमान में किसी अन्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त न हो रही हो। विचार योग्य है कि ऐसी भूमि प्राधिकरणों को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रीत की जा सकती है, ताकि प्राधिकरण उसपर आवश्यकतानुसार योजनायें बनाकर उनका क्रियान्वयन कर सके।

2– हरिद्वार में विशेष रूप से सिंचाई विभाग की ऐसी बहुत सी भूमि है जो न तो कुम्भ मेला के प्रयोग में है, न ही विभाग द्वारा उसका किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों की जो भी भूमि प्राधिकरणों के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तथा जिसका लम्बे समय से कोई अन्य उपयोग नहीं किया गया है और न ही अन्य कोई उपयोग प्रस्तावित है, ऐसी भूमि प्राधिकरण को लीज पर दी जा सकती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर उनका सीधे विक्रय प्राधिकरणों को किया जा सकता है।

3– हरिद्वार में नगरपालिका परिषद की ऐसी बहुत सी भूमि उपलब्ध है जो नगरपालिका द्वारा बहुत लम्बे समय से किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा रही है और न ही उनका काफी समय तक कोई अन्य उपयोग प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका परिषद की देवपुरा मुस्तकहम में 7.835 हेक्टेयर, मिस्सरपुर मुस्तकहम में 9 हेक्टेयर, प्राधिकरण कार्यालय से संलग्न 2050 वर्गमीटर तथा ज्वालापुर में 1.446 हेक्टेयर भूमि ऐसी चिन्हित की गयी है जो नगरपालिका परिषद प्राधिकरण को दे सकती है। इस आशय का प्रस्ताव नगरपालिका परिषद को 12 मार्च 2007 को प्रेषित किया जा चुका है।

4– ढांचागत बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु यह भी आवश्यक है कि प्राधिकरणों में वर्तमान में उपलब्ध स्टाफ स्ट्रक्चर का पुर्नपरीक्षण किया जाय तथा प्राधिकरणों के दायित्वों के अनुरूप स्टाफ में वृद्धि की जाय। यह भी आवश्यक है कि बहुत लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे पदों पर नियुक्तियां की जायं, ताकि प्राधिकरण अपने क्षेत्र में नियन्त्रण का कार्य प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सके।

5– हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पास अपना भूमि बैंक विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सामान्य तौर पर यह देखा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी लम्बी एवं विधिक क्लिष्टताओं से परिपूर्ण होती है जिससे अधिक समय भी लगता है तथा प्राधिकरण पर अधिक वित्तीय भार भी पड़ता है, क्योंकि न्यायिक

मद संख्या:43(15)

विषयः नजूल–नीति, आवास–नीति तथा भू–माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु–

नजूल–नीति, आवास–नीति तथा भू–माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गये। विचार–विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि ये प्रस्ताव शासन स्तर के हैं अतः बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इन प्रस्तावों को प्राधिकरण के बोर्ड की सहमति मानते हुये शासन को विचारार्थ प्रेषित किये जायें।

प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या–43(16)

विषयः प्राधिकरण वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार ।

प्राधिकरण की जिप्सी संख्या यू0पी0–10बी–9333 जिसका माडल वर्ष 1997 का है, एवं एम्बेस्डर कार संख्या यू.पी. –10डी–1500 जिसका माडल वर्ष 1999 की है के बारे में बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त दोनों वाहन निष्प्रयोज्य किये जाने योग्य हैं। बोर्ड को अवगत कराया गया कि वाहनों को आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय के स्तर से निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उपरोक्त दोनों वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय करने का प्रस्ताव रखा गया जिसके लिये आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहनों को अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय के स्तर से निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की जाये तथा जो भी वाहन आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाते हैं उनके स्थान पर नये वाहन क्रय करने के लिये भी अनुमति प्रदान करने के लिये आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय को स्थायी रूप से अधिकृत कर दिया जाये।

उपरोक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया जाये।

मद संख्या:43(17)

विषयः विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण के 20 वर्ष से अधिक के रिकार्ड को वीडिंग किये जाने पर विचार।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। शासनादेश संख्या– 3339/सैतालीस–1–92–37(1)84 दिनांक 30 जनवरी 1993 में अभिलेखों की वीडिंग के प्राविधान निर्धारित किये गये हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की

Secretary Vice-Chairman 25-07-2007 Chairman/Commissioner

प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के मामलों में मुआवजे की राशि काफी हद तक बढ़ा दी जाती है, अतः उचित होगा कि शासन स्तर पर एक ऐसी नीति निर्धारित की जाय जिससे विकास प्राधिकरण किसी संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि क्रय करने में समर्थ हो सके। इस प्रक्रिया में जिलाधिकारी अथवा शासन, जैसा भी उचित हो, के स्तर पर कोई समिति इत्यादि बनाकर भूमि क्रय करने की कार्यवाही सम्पादित करने का विचार किया जा सकता है।

6– प्राधिकरणों का भूमि की खदीद–फरोख्त पर कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है और न ही अधिनियम में इसे नियन्त्रित करने की कोई व्यवस्था है। भूमि खरीद–फरोख्त के उपरान्त बड़े–बड़े भू–माफिया जब उस भूमि पर प्लाटिंग करके उसपर विकास कार्य प्रारम्भ करते हैं या जिस समय क्रेतागण कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ करते हैं उस समय प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये सक्षम है। जब भू–माफिया द्वारा अवैध प्लाटिंग करके उसपर बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था की जाती है उसी समय प्राधिकरण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पाता है। अतः भू–माफिया पर नियन्त्रण के दृष्टिकोंण से एवं अवैध प्लाटिंग इत्यादि रोकने के दृष्टिकोंण से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है:–

(क) भू–माफियाओं द्वारा जब बड़े भूखण्डों का क्रय एव विक्रय किया जाय उसी समय प्राधिकरण से भी रजिस्ट्री करने से पूर्व अनापत्ति प्राप्त करने की बाध्यता रखी जा सकती है।

(ख) अवैध प्लाटिंग एवं भूमि का विकास करते समय बिजली, पानी एवं सीवर इत्यादि के कनेक्शन जो अत्यन्त सुविधापूर्वक मिल जाते हैं उनपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उचित होगा कि बड़े पैमाने पर भूमि की खरीद–फरोख्त के प्रकरणों में बिजली, पानी, सीवर इत्यादि की स्वीकृति देने से पूर्व प्राधिकरण की राय ली जाय अथवा यह देखा जाय कि प्राधिकरण द्वारा संबंधित भूमि का विधिवत ले–आऊट स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं।

(ग) कुछ कालोनाइजर या भू–माफिया अवैध प्लाटिंग में अधूरे विकास कार्य छोड़कर चले जाते हैं जिससे क्रेताओं को कालान्तर में कठिनाई होती है अतः ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत ले–आऊट वाले क्षेत्रों में विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा करा दिये जाने चाहिये तथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में सम्बन्धित कालोनाइजर से करायी जानी चाहिये।

(घ) कृषि भूमि के विक्रय के समय रजिस्ट्री से पूर्व यह देखा जा सकता है कि महायोजना के अन्तर्गत संबंधित भूमि का भू–उपयोग भिन्न है अथवा नहीं। महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये भूमि क्रय को प्रतिबन्धित करने पर विचार किया जा सकता है।

(च) जिन प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं उनकी पत्रावलियां निकाल कर तथा उनमें जो [illegible] उनपर शमन की कार्यवाही अनिवार्य करते हुये शमन शुल्क आरोपित किया जा [illegible]

है तथा उसकी राजस्व बकाये के रूप में वसूली भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो भाग अशमनीय रह जाता है उसे तोड़े जाने के लिये एक निश्चित समय दिया जा सकता है तथा निश्चित समय पर अनुपालन न करने की दशा में पुनः अर्थ दण्ड अलग से आरोपित करने पर विचार किया जा सकता है।

(छ) अधिनियम में यह प्राविधान है कि निर्माण कार्य न रोकने पर रू0 200.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है किन्तु यह अधिकार न्यायपालिका में निहित है, जहां सामान्यत लम्बी अवधि के लिये भी बहुत कम अर्थ दण्ड लगाकर वादों की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है। उचित होगा कि अवैध निर्माण न. रोकने पर प्राधिकरण को भी आंशिक रूप से अर्थ दण्ड आरोपित करने का अधिकार दे दिया जाय।

मद संख्या–43(16)

विषयः प्राधिकरण वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार ।

प्राधिकरण जिप्सी वाहन संख्या यू0पी0–10बी–9333 जिसका माडल वर्ष 1997 है, एवं एम्बेस्डर कार वाहन संख्या यू.पी. –10डी–1500 माडल वर्ष 1999 है जोकि शासनादेश के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य किये जाने योग्य है। उक्त दोनों वाहनों को निष्प्रयोज्य किये जाने एवं उनके स्थान पर दो नये वाहन क्रय किये जाने प्राविधान बजट में किया गया है । अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्याः43(17)

विषयः विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण के 20 वर्ष से अधिक के रिकार्ड को वीडिंग किये जाने पर विचार।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के गठन वर्ष 1986 के समय विनियमित क्षेत्र में उपलब्ध अभिलेखीय रिकार्ड प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया था । इस प्रकार प्राधिकरण के पास 20 वर्ष से अधिक का अभिलेखीय रिकार्ड उपलब्ध है । उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–3339/सैतालीस–1–92–37(1)84 दिनांक 30 जनवरी 1993 में अलग–अलग अभिलेखों हेतु अवधि निर्धारित कर वीडिंग का प्राविधान है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में वीडिंग के सम्बन्ध में कोई नियम/शासनादेश नही हैं । इस सम्बन्ध में पत्रांक 1169 दिनांक 27.07.2005 के द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश/आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 भारत सरकार का राजपत्र, असाधारण भाग–2, अनुभाग–1क, नई दिल्ली दिनांक 13 अक्टूबर 2005 एवं उत्तरांचल सूचना आयोग , सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–29 के अनुसार 20 वर्ष तक के अभिलेखों की सूचना दिये जाने का प्राविधान रखा गया है।

अतः प्रस्ताव है कि एक समिति गठित कर अभिलेखों के वीडिंग किये जाने हेतु परीक्षण उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अभिलेख उसकी आवश्यकता /अनावश्यकता के आधार पर निर्धारित करते हुए समाचार पत्र में सूचना देते हुए 20 वर्ष से अधिक के अभिलेखों की वीडिंग शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कर दी जाये।

मद संख्या:43(18)

विषयः स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–110 दिनांक 29 जून 2006 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–110/XXVII(7)/2006 दिनांक 29 जून 2006 में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का आनुपातिक प्रतिशत 50 : 30 : 15 : 5 रखते हुये उनका पदनाम क्रमशः आशुलिपिक ग्रेड–2, आशुलिपिक ग्रेड–1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 कर दिया जाय एवं चारों श्रेणी के पदों का वेतनमान क्रमशः रू0 4000–6000, रू0 5000–8000, रू0 5500–9000 तथा रू0 6500–10500 रखा जाय उक्त शासनादेश को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया जाना है।

उक्त शासनादेश प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

धारा 29 के अन्तर्गत 20 वर्षों तक के अभिलेखों को बनाये रखना आवश्यक है, अतः प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि शासनादेश के क्रम में अभिलेखों की आवश्यकता व अनावश्यकता के बारे में निर्णय लेते हुये समाचार–पत्रों में सूचना देते हुये अभिलेखों की वीडिंग करा दी जाये। उक्त विषय पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिये गयेः–

(1) वीडिंग की प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेशों की समुचित जानकारी सम्बन्धित कार्यालय/ अधिकारी से प्राप्त कर ली जाये।

(2) पर्याप्त मार्ग–दर्शन प्राप्त करने के उपरान्त यह निर्धारित किया जाये कि किन अभिलेखों की वीडिंग की जानी है।

(3) जो अभिलेख सुरक्षित रखे जाने हैं उन्हें scan करके उनकी C.D. बनवाने पर भी विचार किया जाये।

(4) वीडिंग से सम्बन्धित सभी शासनादेश प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा विधिवत अंगीकृत मान लिये जायें।

उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या:43(18)

विषयः स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–110 दिनांक 29 जून 2006 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–110/XXVII(7)/2006 दिनांक 29 जून 2006 में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का आनुपातिक प्रतिशत 50 : 30 : 15 : 5 रखते हुये उनका पदनाम क्रमशः आशुलिपिक ग्रेड–2, आशुलिपिक ग्रेड–1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 कर दिया जाय एवं चारों श्रेणी के पदों का वेतनमान क्रमशः रू0 4000–6000, रू0 5000–8000, रू0 5500–9000 तथा रू0 6500–10500 रखा जाय। उक्त शासनादेश को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया। सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश बोर्ड द्वारा अंगीकृत करते हुये **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25-07-2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman /Commissioner

द संख्या:43(19)

षय: जगतवीर पेपर इण्डिया लि0, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र सं0 84/ 2005–06, 89/ 2006–07 के न्दर्भ में शमन पर विचार।

जगतवीर पेपर इण्डिया लि0 घुघत्याणी तल्ली (तपोवन) जिला टिहरी–गढ़वाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या–69 /2004–05 के सापेक्ष स्वीकृति भिन्न निर्माण गंगा नदी के तट से 200 मीटर के अन्दर अलग–अलग स्थानों पर तीन ब्लाकों का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण धारा–27 के न्तर्गत नोटिस दिनांक 19–07–2006 को दिया गया । इस सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह जाटव सचिव उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से क शिकायत दिनांक 14–09–2006 को सचिव को दी गयी जिसपर जॉच कराने के बाद यह आख्या प्राप्त हुई कि प्रतिपक्षी द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। प्राधिकरण के सचिव द्वारा थानाध्यक्ष मुनिकीरेती को उक्त निर्माण कार्य रूकवाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया जिसपर थाने से यह आख्या आइ थी कि मोके पर आधे भवनों का कार्य चल रहा है तथा आधे भवनों का कार्य बन्द है। नोटिस पर संस्था के सुरक्षा अधिकारी श्री रणवीर ारा दिनांक 16–11–06 यह उल्लेख कर दिया गया कि निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है।

तुतः इस सम्बन्ध में आवेदक का मानचित्र सं0–104 /95–96 तथा मानचित्र सं0–31/96–97 में स्वीकृत किया गया था तथा संशोधित सं0–69 वर्ष 2004–05 में स्वीकृत हुआ था । मानचित्र सं0–69 के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से अनापत्ति मांगी गई थी तथा उनके द्वारा 23–03–2004 को उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त भूखण्ड गंगा नदी के तट से 200 मीटर दूरी के पश्चात प्रस्तावित किया जाना बताया गया।

इस प्रकरण में दिनांक 19.7.2006 को अलग–अलग स्थानों पर तीन ब्लाकों पर कार्य प्रगति पर होने के कारण धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। विपक्षी ने अपने प्रतयावेदन में कहा है कि मानचित्र में भू–स्वामित्व के क्षेत्रफल पर स्वीकृति हुयी है तथा उनके द्वारा अतिरिक्त विकास शुल्क का संशोधित मानचित्र की स्वीकृति के समय जमा करा दिया गया है। विपक्षी द्वारा अपने निर्माण को Heritage Retreat/Heritage Village बताया जा रहा है। तथा यह कहा गया है कि उसका निर्माण गंगा नदी के किनारे 50 मीटर की ऊंचाई पर एक perpendicular cliff पर है तथा सीवर डिस्चार्ज या अन्य किसी माध्यम से उनके निर्माण से गंगा प्रदूषित नहीं होगी क्योंकि उनके द्वारा अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सीवर डिस्चार्ज तथा effluent को recycle करके उसका उद्यानीकरण कार्यों हेतु प्रयोग किया जायेगा। यह सत्य है कि विपक्षी द्वारा एक बार मानचित्र स्वीकृत कराया गया तथा दूसरी बार उसमें संशोधन कराया गया एवं उसके उपरान्त स्वीकृति से भिन्न निर्माण किया गया है। इस प्रकरण में मूल विषय–वस्तु यह है कि प्रसंगाधीन स्थल की गंगा तट से दूरी नापने की क्या विधि अपनाई जानी चाहिये। यह प्रकरण अध्यक्ष महोदय बोर्ड के समक्ष रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः मूल निर्णय इस बिन्दु पर होना है कि स्थल की दूरी गंगा तट से नापने की प्रक्रिया कि प्रकार अवधारित की जाय क्योंकि प्रश्नगत स्थल गंगा तट पर स्थित Level में न होकर perpendicular ऊंचाई पर है। अतः प्रस्ताव है कि बोर्ड द्वारा इसकी गंगा तट से दूरी नापने के लिये कोई मार्ग–दर्शक सिद्धान्त अवधारित या निश्चित कर दिया जाय अथवा गंगा तट से 200 मीटर की दूरी नापने का कार्य सिचाई विभाग के विवेक पर छोड़ दिया जाय। यदि यह निर्माण गंगा तट से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित पाया जाता है

मद संख्या:43(19)

विषय: जगतवीर पेपर इण्डिया लि0, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र सं0 84/ 2005–06, 89/ 2006–07 के सन्दर्भ में शमन पर विचार।

जगतवीर पेपर इण्डिया लि0 घुघत्याणी तल्ली (तपोवन) जिला टिहरी–गढ़वाल द्वारा मानचित्र सं0–104 /95–96 तथा मानचित्र सं0–31/96–97 में स्वीकृत कराया गया था तथा संशोधित मानचित्र सं0–69 वर्ष 2004–05 में स्वीकृत हुआ था । उक्त स्थल गंगा नदी तट से 200 मीटर के भीतर था तथा स्वीकृति से भिन्न निर्माण होने के कारण प्राधिकरण द्वारा धारा 27/ 28 की इस प्रकरण में कार्यवाही की गयी।

सम्बन्धित पक्षकार द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा गया है कि उनके द्वारा को Heritage Retreat/Heritage Village बनाया जा रहा है तथा उसका Sewer Discharge एवं अन्य Waste गंगा नदी में न जाने पाये इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके सम्बन्ध में पक्ष के प्रतिनिधि प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुये तथा उन्होंने बोर्ड को अवगत कराया कि उनके द्वारा इस योजना में अत्याधुनिक तकनीक से Sewage तथा अन्य Wastage को निस्तारित करने का प्रोजेक्ट बनाया गया है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण नहीं होगा। उनके द्वारा स्वीकृति से भिन्न किये गये निर्माण को शमनित करने का आवेदन किया गया।

प्राधिकरण के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17–07–2007 को हुयी बैठक में गंगा नदी से 200 मीटर के भीतर कतिपय कार्यों पर छूट इत्यादि कुछ शर्तों के साथ देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि 200 मीटर क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के लिए प्रकरण शासन में विचाराधीन है अतः शासन के निर्णय तक ऐसे प्रकरणों को स्थगित रखा जाये एवं इस सम्बन्ध में केवल शासन के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये।
उपरोक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25.07.2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman /Commissioner

तो इसके नियमानुसार शमन किये जाने में कदाचित कोई बाधा नहीं होगी। यह तथ्य भी विचारणीय है कि इस प्रकरण में दो बार मानचित्र स्वीकृत कराया गया है तथा यह स्वीकृत मानचित्र से विचलन का प्रकरण है एवं विपक्षी द्वारा इस आशय का written commitment दिया जा रहा है कि उसके द्वारा बनाये जा रहे तथाकथित Heritage Retreat/Heritage Village से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण गंगा में नहीं होगा क्योंकि इस के लिये उनके द्वारा अत्याधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है।

उपरोक्त विषय पर यह भी विचारणीय है कि गंगा नदी के तट से 200 मी0 के भीतर के क्षेत्र में यदि कोई मानचित्र स्वीकृत है तथा निर्माण के समय उसमें विचलन पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत मानचित्र के आधार पर यथा सम्भव कम से कम विचलन की अनुमति प्रदान करते हुए शमन की कार्यवाही करने हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

उक्त विषय प्राधिकरण के बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्याः43(20)

विषयः सप्तऋषि चुंगी से ऋषिकेश तक महायोजना–2011 के साथ–2 हरिद्वार महायोजना–2025 के समावेशित किये जाने के संबंध में।

ऋषिकेश की महायोजना वर्ष 2011 तक के लिए स्वीकृत है तथा इसमें मोतीचूर नदी से हरिद्वार की ओर हरिपुर कलॉ व सप्तऋषि तक उसके आस–पास का क्षेत्र स्वीकृत महायोजना के मानचित्र में प्रदर्शित है। प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना भाग–अ–2025 में भी मोतीचूर नदी से हरिद्वार की ओर स्थित सप्तऋषि आश्रम, हरिपुर कलॉ तथा देवसंस्कृति विश्वविद्यालय एवं उसके आस–पास का क्षेत्र प्रदर्शित है। उल्लेखनीय है कि जो क्षेत्र ऋषिकेश महायोजना में 2011 तक के लिए सम्मिलित है उसीका कुछ भाग हरिद्वार महायोजना भाग–अ–2025 की प्रस्तावित महायोजना में भी सम्मिलित है। इस प्रकार ऋषिकेश की 2011 तक स्वीकृत महायोजना तथा हरिद्वार की प्रस्तावित महायोजना भाग–अ–2025 में कुछ ऐसे भू–भाग है जो कदाचित ओवरलैपिंग प्रतीत हो रहे है। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति बोर्ड के संज्ञानानार्थ एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध है।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष यह विषय इस मन्तव्य से प्रस्तुत किया जा रहा है कि महायोजना में ओवरलैपिंग से सम्बन्धित क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

मद संख्याः43(20)

विषयः सप्तऋषि चुंगी से ऋषिकेश तक महायोजना–2011 के साथ–2 हरिद्वार महायोजना–2025 के समावेशित किये जाने के संबंध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि ऋषिकेश की महायोजना वर्ष 2011 तक के लिए स्वीकृत है तथा इसमें मोतीचूर नदी से हरिद्वार की ओर हरिपुर कलॉ व सप्तऋषि तक उसके आस–पास का क्षेत्र स्वीकृत महायोजना के मानचित्र में प्रदर्शित है। प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना भाग–अ–2025 में भी मोतीचूर नदी से हरिद्वार की ओर स्थित सप्तऋषि आश्रम, हरिपुर कलॉ तथा देवसंस्कृति विश्वविद्यालय एवं उसके आस–पास का क्षेत्र प्रदर्शित है। उल्लेखनीय है कि जो क्षेत्र ऋषिकेश महायोजना में 2011 तक के लिए सम्मिलित है उसीका कुछ भाग हरिद्वार महायोजना भाग–अ–2025 की प्रस्तावित महायोजना में भी सम्मिलित है। इस प्रकार ऋषिकेश की 2011 तक स्वीकृत महायोजना तथा हरिद्वार की प्रस्तावित महायोजना भाग–अ–2025 में कुछ ऐसे भू–भाग है जो कदाचित ओवरलैपिंग है।

उक्त प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हरिद्वार महायोजना भाग–अ–2025 लागू होने के उपरान्त ओवरलैपिंग क्षेत्र में वर्तमान में लागू ऋषिकेश महायोजना के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा जिस समय हरिद्वार महायोजना–2025 लागू होगी उस समय इस क्षेत्र में ऋषिकेश महायोजना स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

उपरोक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25.07.2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman / Commissioner

मद संख्या:43(21)

विषयः प्रस्तावित महायोजना–2025 के दृष्टिगत रखते हुये हरिद्वार में लागू पुरानी महायोजना के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना भाग–अ व भाग–ब में जो मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे है उनका आधार पुरानी महायोजना ही है जो कि वर्ष 1985 से 2001 तक के लिए लागू थी एवं शासनादेशों के अन्तर्गत आगामी महायोजना लागू होने तक प्रभावी है। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग–अ में मानचित्र स्वीकृत करते समय कुछ प्रकरणों में कठिनाईयॉ आ रही है। उदाहरणार्थ प्रस्तावित महायोजना–2025 में जो क्षेत्र स्थानीय बस अड्डा के लिए प्रस्तावित है उसके सम्बन्ध में काफी संख्या में आपत्तियॉ प्राप्त हुई है कि इसके काफी भू–भाग में आवास निर्मित हो चुके है तथा यहॉ पर स्थानीय बस अड्डा बनाया जाना व्यावहारिक नहीं होगा । इस क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ भवनों के मानचित्र इस कारण से लम्बित है क्योंकि यदि यह क्षेत्र नई महायोजना–2025 में स्थानीय बस अड्डा के लिए प्रस्तावित है तो यहॉ वर्तमान परिस्थितियों में मानचित्र स्वीकृत करने में कोई सैद्धान्तिक कठिनाई तो नही है परन्तु बाद में व्यावहारिक कठिनाईयॉ आ सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा ऋषिकुल में आई0एस0बी0टी0 बनाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक दिनांक 28–12–2006 को पारित किया जा चुका है। अतः यह तथ्य विचारणीय है कि बोर्ड के निर्णय दिनांक 28–12–2006 के क्रम में नई प्रस्तावित महायोजना के अनुसार स्थानीय बस अड्डा को अन्यत्र ले जाना उचित होगा अथवा नही । यह प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष यह निर्णय लिये जाने के मन्तव्य से प्रस्तुत है कि स्थानीय बस अड्डा के सम्बन्ध में बोर्ड के पूर्व निर्णय के क्रम में तथा प्रस्तावित महायोजना–2025 में प्रदर्शित स्थानीय बस अड्डा क्षेत्र के लिए आवासीय होने के सम्बन्ध में प्राप्त अनेकों आपत्तियों के दृष्टिकोंण से बोर्ड के पूर्व निर्णय दिनांक 28–12–2006 के अनुसार कार्यवाही करना उचित होगा अथवा नही । प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय भी लिया जाना निवेदित है कि जो मानिचत्र वर्तमान में प्राप्त हो रहे है उनकी स्वीकृति हरिद्वार महायोजना भाग–अ व भाग–व में उल्लिखित भू–उपयोग के अनुसार प्रदान कर दी जाय।

प्रकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:43(21)

विषयः प्रस्तावित महायोजना–2025 के दृष्टिगत रखते हुये हरिद्वार में लागू पुरानी महायोजना के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार में लागू पुरानी महायोजना में ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्तमान में आवासीय हैं किन्तु प्रस्तावित महायोजना में उनका भू–उपयोग Public Utilities जैसे बस अड्डा इत्यादि के लिये प्रस्तावित है, अतः ऐसी परिस्थिति में वर्तमान महायोजना के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करने में प्रस्तावित महायोजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में पुरानी महायोजना के अनुसार ही मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जाये किन्तु जिन प्रकरणों में हरिद्वार महायोजना–2025 की महत्वपूर्ण Public Utilities प्रभावित हो सकती हैं उनमें उपाध्यक्ष को स्व–विवेक से ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही स्थगित करने के लिये प्राधिकृत कर दिया जाये।

उपरोक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या:43(22)

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरणों में कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है। इस विषय पर मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि जो प्रस्ताव मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भेजा गया है उसी को हरिद्वार विकास प्राधिकरण के बोर्ड से भी पारित मानते हुये शासन से यह अनुरोध किया गया कि कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में एकरूपता रखते हुये शासनादेश जारी होना उचित होगा। शासनदेश प्राप्त होने पर उसे बोर्ड से अंगीकृत मानते हुये कार्मिकों को चिकित्सा पूतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

प्रस्ताव उपरोक्तानुसार अनुमोदित करते हुये **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25-07-2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman / Commissioner

मद संख्या:43(22)

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

शासन के आवास विभाग के पत्रांक–526 दिनांक 13 जून, 2007 में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है । शासन ने अपेक्षा की है कि यदि अन्य प्राधिकरणों में भी यह व्यवस्था लागू की जानी है तो निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके यथोचित संस्तुति सहित आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत है कि मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में जो प्रस्ताव भेजा गया है वही प्रस्ताव हरिद्वार विकास प्राधिकरण से भी पारित मानते हुए शासन को अवगत करा दिया जाय ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा के सम्बन्ध में जारी होने वाले शासनादेश में एकरूपता बनी रहे।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–

मद संख्या:43(23)

विषयः रोड वाइडनिंग में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व बने भवनों के ऊपर निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के समक्ष यह प्रकरण विचारार्थ रखा गया। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई भवन रोड वाइडनिंग में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व बना हुआ है तो भी उसके ऊपर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोड वाइडनिंग में स्थापित पुराने भवन जब स्वतः जीर्ण–शीर्ण होकर गिर जायेंगे तो रोड वाइडनिंग के लिये स्वतः ही स्वाभाविक रूप से चौड़ाई स्वयं उपलब्ध हो जायेगी।

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि रोड वाइडनिंग में जो भवन स्थित हैं उनके ऊपर नवनिर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या:43(24)

विषयः श्री राम कुमार शर्मा, एडवोकेट की फीस व वाद व्यय में वृद्धि।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री राम कुमार शर्मा, एडवोकेट के द्वारा प्राधिकरण के हरिद्वार व ऋषिकेश से सम्बन्धित अभियोजन के वादों में विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के अधिवक्ता के रूप में वर्ष 2000 से कार्य किया जा रहा है। इन्हें प्रति प्रतिवाद के लिये रू0 500/– फीस व रू0 100/– वाद व्यय के रूप में प्राधिकरण की ओर से दिया जाता है जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक कम है। अतः उचित होगा कि श्री राम कुमार शर्मा को कार्य के हित में परिवाद व वाद व्यय के रूप में रू0 1000/– प्रति वाद की एकमुश्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुये **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

25-07-2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman/Commissioner

(संलग्नक–1)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के सृजित पदो का विवरणः–

क0 सं0	सेवा संवर्ग	सेवा में सम्मिलित पद	सृजित की संख्या	भरे पदो की संख्या	रिक्त पदो की संख्या	अतिरिक्त की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	9
1	प्रशासनिक	उपाध्यक्ष	1	1	0	0	प्रतिनियुक्ति पर
		सचिव	1	1	0	0	प्रतिनियुक्ति पर
		उप सचिव	1	0	1	0	
2	अभियंत्रण	अधि0 अभियन्ता	1	0	1	0	
		सहायक अभियंता	4	1	3	0	
		अवर अभि0	6	4	2	0	
3	नियोजन	नगर नियोजक	1	0	1	0	
		सहा0नगर नियोजक	1	0	1	0	
		वास्तुविद सहायक	1	0	1	0	
		मानचित्रकार	2	2	0	0	
		सर्वेयर	2	2	0	0	
		ट्रेसर	1	1	0	0	
5	लेखा	मुख्य वित्त अधिकारी	1	1	0	0	अतिरिक्त प्रभार डी.आर.डी. हरिद्वार।
		लेखाकार	1	0	1	0	
		रोकड़िया	1	1	0	0	
6	कम्प्यूटर लिपिक	डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	1	0	0	
		कार्यालय अधीक्षक	1	0	1	0	
		आशुलिपिक	2	1	1	0	

			36 A	(संलग्नक–1)			
		प्रधांन लिपिक	1	1	0	0	
		वरिष्ठ लिपिक	1	1	0	0	
		कनिष्ठ लिपिक	4	6	0	2	एक पद मृतक आश्रित एवं
							एक पद वि0क्षेत्र से समायोजित
8	विधि	विधि निरीक्षक / सहा0	1	0	1	0	
		उद्यान निरीक्षक	1	1	0	0	
		ड्राईवर	3	3	0	0	
		चपरासी	6	6	0	0	
		चौकीदार	2	2	0	0	
		स्वीपर	1	1	0	0	
		योगः–	**49**	**37**	**12**	**2**	

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–

मद संख्या:43(23)

विषयः रोड वाइडनिंग में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व बने भवनों के ऊपर निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के समक्ष ऐसे कई प्रकरण आ रहे हैं जिनमें रोड वाइडनिंग के अन्तर्गत प्राधिकरण की स्थापना से पहले ही भवन बने हुये हैं। कुछ प्रकरणों में इन भवनों के ऊपर या तो अवैध रूप से उसी प्लिन्थ पर अवैध निर्माण कर लिया गया है अथवा निर्माण करने हेतु अनुमति चाही गयी है या उसी प्लिन्थ पर किये गये निर्माण के शमन कराने के लिये आवेदन किया गया है। पक्षकारों का यह तर्क है कि चूँकि भूमि पर स्थित भाग प्राधिकरण की स्थापना से पहले ही निर्मित हो चुका था तथा प्राधिकरण की स्थापना के बाद रोड वाइडनिंग में आ गया है अतः उसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता है तथा उसके ऊपर यदि उसी प्लिन्थ पर ऊपर की मन्जिल या मन्जिलों के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है तो उससे सड़क की चौड़ाई प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकरण के समक्ष यह प्रकरण इस दृष्टिकोंण से निर्णय हेतु प्रस्तुत है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व रोड वाइडनिंग में भवन स्थित हैं उनके ऊपर नया निर्माण करने अथवा किये गये नवनिर्माण को शमन करने पर प्राधिकरण विचार करना चाहे।

मद संख्या:43(24)

विषयः श्री राम कुमार शर्मा, एडवोकेट की फीस व वाद व्यय में बृद्धि।

श्री राम कुमार शर्मा, एडवोकेट के द्वारा प्राधिकरण के हरिद्वार व ऋषिकेश से सम्बन्धित अभियोजन के वादों में विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के अधिवक्ता के रूप में वर्ष 2000 से कार्य किया जा रहा है। इन्हें प्रति प्रतिवाद के लिये रू0 500/– फीस व रू0 100/– वाद व्यय के रूप में प्राधिकरण की ओर से दिया जाता है जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक कम है। अतः उचित होगा कि श्री राम कुमार शर्मा को कार्य के हित में परिवाद व वाद व्यय के रूप में रू0 1000/– प्रति वाद की एकमुश्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

प्रकरण प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:43(25)

विषयः प्राधिकरण के सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य देखने के लिये सेवा निवृत्त कर्मी श्री रामचन्द्र सिंह नेगी के मानदेय में वृद्धि।

श्री रामचन्द्र सिंह नेगी कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त हुये थे तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के समक्ष पत्रावलियों को प्रस्तुत करने, सूचनाएं प्राप्त करने, उनका आलेख तैयार करने एवं उत्तर इत्यादि भेजने के लिये श्री नेगी की सेवाओं का उपयोग दिनांक 3–08–2006 से किया जा रहा है। इसके लिये श्री नेगी को रू0 3500/– मानदेय के रूप में दिये जा रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य निरन्तर बढ़ रहा है तथा श्री नेगी जैसे सुयोग्य कार्मिक की सेवायें प्राधिकरण द्वारा निरन्तर ली जा रही हैं। इनकी योग्यता के सापेक्ष रू0 3500/– की धनराशि अत्यधिक कम है अतः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष यह प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि श्री नेगी को रू0 3500/– के स्थान पर रू0 5000/– प्रति माह मानदेय स्वीकृत कर दिया जाय।

प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:43(26)

विषयः प्रमुख स्थानों पर हॉस्टल तथा आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर उन स्थानों पर व्यवसायिक सुविधायें दिये जाने के प्रकरणों के नियमितीकरण की कार्यवाही।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा कुछ अन्य प्रमुख स्थानों पर जहां ट्रैफिक का आवागमन निरन्तर एवं अत्यधिक है, ऐसे स्थानों पर कुछ व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा हॉस्टल अथवा आवासीय मानचित्र प्रारम्भ में स्वीकृत कराये गये थे किन्तु इन क्षेत्रों में तीर्थ–यात्रियों एवं पर्यटकों की बढती हुई संख्या के क्रम में व्यवसायिक सुविधाओं की बढी हुई आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ प्रकरणों में हास्टल तथा आवासीय भवनों को व्यवसायिक रूप दे दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण मार्गो एवं स्थानों पर जो विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा शहर के मार्गों पर स्थित हैं, ऐसे स्थानों पर कुछ व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा हॉस्टल एवं आवासीय भवनों को व्यवसायिक रूप प्रदान किये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्राधिकरण द्वारा उनके स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष अब उसे व्यवसायिक मानते हुए उन्हें नोटिस देकर प्राधिकरण के नियमों में अनुमन्य व्यवसायिक सुविधाओं के अन्तर्गत शमनित करते हुए अनुमत कर दिया जाय। प्राधिकरण की हरिद्वार महायोजना के हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग–अ के जोनिंग रेगुलेशन्स के पृष्ठ–38 पर यह उल्लेख किया गया है कि आवासीय भू–उपयोग को प्राधिकरण द्वारा विशेष परिस्थितियों में होटल एवं रेस्तराँ, मोटल एवं काफिलों के ठहरने के स्थानों में परिवर्तित करने में अनुमोदन दिया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल ऐसे भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा बल्कि उससे प्राधिकरण

मद संख्या:43(25)

विषयः प्राधिकरण के सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य देखने के लिये सेवा निवृत्त कर्मी श्री रामचन्द्र सिंह नेगी के मानदेय में बृद्धि।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री रामचन्द्र सिंह नेगी कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त हुये थे तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के समक्ष पत्रावलियों को प्रस्तुत करने, सूचनाएं प्राप्त करने, उनका आलेख तैयार करने एवं उत्तर इत्यादि भेजने के लिये श्री नेगी की सेवाओं का उपयोग दिनांक 3–08–2006 से किया जा रहा है। इसके लिये श्री नेगी को रू0 3500/– मानदेय के रूप में दिये जा रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य निरन्तर बढ़ रहा है तथा श्री नेगी जैसे सुयोग्य कार्मिक की सेवायें प्राधिकरण द्वारा निरन्तर ली जा रही हैं। इनकी योग्यता के सापेक्ष रू0 3500/– की धनराशि अत्यधिक कम है अतः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष यह प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया कि श्री नेगी को रू0 3500/– के स्थान पर रू0 5000/– प्रति माह मानदेय स्वीकृत कर दिया जाय।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुये **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या:43(26)

विषयः प्रमुख स्थानों पर हॉस्टल तथा आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर उन स्थानों पर व्यवसायिक सुविधायें दिये जाने के प्रकरणों के नियमितीकरण की कार्यवाही।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा कुछ अन्य प्रमुख स्थानों पर जहां ट्रैफिक का आवागमन निरन्तर एवं अत्यधिक है, ऐसे स्थानों पर कुछ व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा हॉस्टल अथवा आवासीय मानचित्र प्रारम्भ में स्वीकृत कराये गये थे किन्तु इन क्षेत्रों में तीर्थ–यात्रियों एवं पर्यटकों की बढती हुई संख्या के क्रम में व्यवसायिक सुविधाओं की बढी हुई आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ प्रकरणों में हॉस्टल तथा आवासीय भवनों को व्यवसायिक रूप दे दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण मार्गो एवं स्थानों पर जो विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा शहर के मार्गों पर स्थित हैं, ऐसे स्थानों पर कुछ व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा हॉस्टल एवं आवासीय भवनों को व्यवसायिक रूप प्रदान किये जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्राधिकरण द्वारा उनके स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष अब उसे व्यवसायिक मानते हुए उन्हें नोटिस देकर प्राधिकरण के नियमों में अनुमन्य व्यवसायिक सुविधाओं के अन्तर्गत शमनित करते हुए अनुमत कर दिया जाय। प्राधिकरण की हरिद्वार महायोजना के हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग–अ के जोनिंग रेगुलेशन्स के पृष्ठ–38 पर यह उल्लेख किया गया है कि आवासीय

25-07-2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman /Commissioner

को आर्थिक लाभ भी होगा क्योंकि व्यवस्थाओं के दृष्टिकोंण से ऐसे भवनों की उन स्थानों पर आवश्यकता है एवं इन्हें ध्वस्त करना जनहित में नहीं है।

प्रकरण बोर्ड के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि विशेष परिस्थितियों में महायोजना के प्राविधानों के अनुसार ऐसे निर्माणों को विनियमित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया जाय। बोर्ड में यह अधिकार निहित है कि आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत बने भवनों को विशेष परिस्थितियों में होटल, रेस्तरॉ, मोटल व काफिलों के ठहरने के स्थानों में परिवर्तित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दें ।

मद संख्या:43(27)

विषयः गंगा तट से 200 मीटर की दूरी में स्वीकृति से भिन्न निर्माण करने पर उनका नियमितीकरण /शमन ।

शासनादेशों के अनुसार गंगा नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक आश्रमों के अतिरिक्त अन्य निर्माण प्रतिबन्धित हैं। कुछ ऐसे प्रकरण भी प्राधिकरण के संज्ञान में आये हैं कि गंगा नदी तट से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत हुए हैं किन्तु निर्माण करते समय स्वीकृति से भिन्न निर्माण कर लिया गया है। इस विषय पर शासन में दिनांक 17–07–2007 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें यह विचार किया गया कि गंगा नदी तट से 200 मीटर की दूरी के भीतर आश्रमों के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो के लिए भी स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाय बशर्ते कि ऐसे निर्माण कार्यो का सीवेज एवं अन्य वेस्टेज गंगा नदी में न जा सके। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में 200 मीटर की परिधि के भीतर उदारता बरतते हुए आश्रमों के अतिरिक्त अन्य निर्माणों से भी प्रतिबन्ध हटाकर ऐसे क्षेत्र में भवनों के निर्माण को कड़ाई से रेगुलेट करने के लिए विचार किया गया है। प्रकरण बोर्ड के समक्ष इस मन्तव्य से रखा जा रहा है कि गंगा नदी के तट से 200 मीटर के भीतर के क्षेत्र में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17–07–2007 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा गंगा नदी तट से 200 मीटर के अन्दर प्रतिबन्धित केवल उन निर्माण कार्यो में शमन की अनुमति दी जाय जिनमें मानचित्र पूर्व से ही स्वीकृत है एवं निर्माण के समय विचलन या स्वीकृति से भिन्नता आई है।

प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:43(28)

विषयः विद्युत शवदाह गृह खड़खड़ी के सम्बन्ध में विचार ।

नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा हरिद्वार स्थित खड़खड़ी क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया गया था इसके लिए प्राधिकरण द्वारा अवशेष विद्युत विला के भुगतान हेतु रू0 5,75,702.00 दिनांक 24–02–2005 तथा विद्युत पुनः–कनेक्शन हेतु रू0 2,22,396.00 दिनांक 5–11–2005 नगरपालिका परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध कराये गये। इस प्रकार विद्युत शवदाह गृह

एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गयी हैं उनमें जो भी विशिष्ट प्रकरण हों उन्हें पूरे विवरण के साथ प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में एस0टी0सी0पी0 के परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत किये जायें किन्तु बाध्यता हय होगी कि ऐसे व्यवसायिक भवनों एवं होटलों की मुख्य मार्गो पर आवश्यकता वास्तविक हो। प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में ऐसे सभी विशिष्ट प्रकरणों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये।

मद संख्या:43(27)

विषयः गंगा तट से 200 मीटर की दूरी में स्वीकृति से भिन्न निर्माण करने पर उनका नियमितीकरण /शमन ।

इस विन्दु पर एजेण्डा के मद संख्या–43(19) पर निर्णय लिया जा चुका है अतः वर्तमान एजेण्डा मद से **प्रकरण समाप्त** किया गया।

मद संख्या:43(28)

विषयः विद्युत शवदाह गृह खड़खड़ी के सम्बन्ध में विचार ।

उपरोक्त विषय पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा विद्युत शवदाह गृह को क्रियाशील किया जाये तथा उसके उपरान्त नगरपालिका परिषद की यदि कोई अनुवर्ती आवश्यकता होती है तो उसे पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ लाया जा सकता है।

प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद संख्या:43(29)

विषयः काँवड़ मेला के दौरान पुलिस व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार में काँवड मेला की सन्निकटता को देखते हुए तथा धनराशि के अभाव में वरिष्ठ अधीक्षक हरिद्वार के द्वारा पत्र सं0–व–14 /2007 दिनांक 19 जुलाई, 2007 द्वारा मेला की व्यवस्थाओं के लिए रू0 28.00 लाख की धनराशि की माँग की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि पहले से जमा है तथा शासनादेश के उपरान्त ही पी0एल0ए0 से आहरित करके पुलिस विभाग को दी जा सकती

Secretary — Vice-Chairman 25.07.2007 — Chairman /Commissioner

के विद्युत मद में प्राधिकरण द्वारा कुल रू0 7,98,098.00 का भुगतान किया जा चुका है। नगरपालिका परिषद हरिद्वार से प्राप्त पत्र संख्या–570 दिनांक 4–07–2007 के द्वारा पुनः यह अनुरोध किया गया है कि विद्युत शवदाह गृह की मरम्मत हेतु रू0 7.15 लाख और उपलब्ध कराये जाय । प्राधिकरण के समक्ष यह विषय इस निवेदन के साथ विचारार्थ प्रस्तुत है कि खड़खड़ी से शमशान घाट अन्यत्र शिफ्ट किये जाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन में विचाराधीन है तथा यह देखना भी आवश्यक होगा कि विद्युत शवदाह गृह पर कब–कब कितनी–कितनी धनराशि व्यय की गयी है तथा इसके चालू होने की दशा में इसकी आउटपुट क्या रही है एवं भविष्य में कितनी आउटपुट सम्भावित है। औचित्य एवं आंकड़ों को देखकर विद्युत शवदाह गृह की यूटिलिटी पर विचार करते हुए इस विषय पर निर्णय लिया जाना उचित होगा । यह भी उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद द्वारा इस मद में अब शासन से धनराशि की मॉग करना उचित रहेगा।

मद संख्या-43(29)

विषयः कॉवड़ मेला के दौरान पुलिस व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार में कॉवड मेला की सन्निकटता को देखते हुए तथा धनराशि के अभाव में वरिष्ठ अधीक्षक हरिद्वार के द्वारा पत्र सं0–व–14 /2007 दिनांक 19 जुलाई, 2007 द्वारा मेला की व्यवस्थाओं के लिए रू 28.00 लाख की धनराशि की मॉग की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि पहले से जमा है तथा शासनादेश के उपरान्त ही पी0एल0ए0 से आहरित करके पुलिस विभाग को दी जा सकती है। कॉवड मेला अतिशीघ्र प्रारम्भ होने वाला है तथा यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पुलिस विभाग को इसके लिए समय से धनराशि उपलब्ध करायी जाय। अतः प्रस्ताव है कि अवस्थापना मद से फिलहाल रू0 28.00 लाख की धनराशि पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय तथा शासनादेश जारी होने के उपरान्त पी0एल0ए0 से आहरित करके यह धनराशि प्राधिकरण के खाते में समायोजित कर दी जाय।

प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

है। कॉवड मेला अतिशीघ्र प्रारम्भ होने वाला है तथा यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पुलिस विभाग को इसके लिए समय से धनराशि उपलब्ध करायी जाय। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कॉवड़ मेले के लिये साउन्ड सिस्टम की स्थाई व्यवस्था हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि प्राधिकरण से अस्थाई अग्रिम के रूप में उपलब्ध करा दी जाये तथा सम्बन्धित शासनादेश जारी होने पर प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में उपलब्ध पुलिस विभाग की धनराशि में से इसका समायोजन कर लिया जाय।

उपरोक्त निर्णय के साथ **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

मद संख्या:43(30)

विषयः डामकोठी से पुल जटवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के क्षेत्र को City Forest के रूप में विकसित करना।

शंकराचार्य चौक से सिंह द्वार तक स्थित नहर की पटरी पर सड़क निर्माण का कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था तथा अवस्थापना विकास निधि समिति की बैठक में दिनांक 22–12–2006 को सिंह द्वार से पुल जटवाड़ा तक इसी मार्ग का विस्तारीकरण स्वीकृत किया गया है। चूँकि यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है अतः जिला प्रशासन के साथ विचार–विमर्श करके यह उचित पाया गया है कि इस क्षेत्र का एक प्रोजेक्ट तैयार करते हुये इस पूरी पटरी का सौन्दर्यीकरण करते हुये इस क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाते हुये हरिद्वार की जनता के लिये पार्क के रूप में एक अच्छा माडल विकसित किया जाये। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है, बेन्चें लगवायी गयी हैं एवं प्रकाश व्यवस्था भी की गयी है किन्तु सौन्दर्यीकरण के दृष्टिकोंण से यह अपर्याप्त है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से विचार–विमर्श के दौरान यह भी उचित पाया गया है कि इसका एक विशद प्रोजेक्ट बनाने के लिये समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्टें आमन्त्रित की जायें जिनमें इस क्षेत्र के विकास के साथ–साथ रख–रखाव का भी प्राविधान हो तथा इसकी Funding आंशिक रूप से प्राधिकरण द्वारा कराते हुये अन्य स्रोतों से भी जैसे Entry Fees इत्यादि लगाकर रख–रखाव के लिये संसाधन जुटाये जायें।

प्राधिकरण के समक्ष यह प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:43(30)

विषयः डामकोठी से पुल जटवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के क्षेत्र को City Forest के रूप में विकसित करना।

प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि शंकराचार्य चौक से सिंह द्वार तक स्थित नहर की पटरी पर सड़क निर्माण का कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था तथा अवस्थापना विकास निधि समिति की बैठक में दिनांक 22–12–2006 को सिंह द्वार से पुल जटवाड़ा तक इसी मार्ग का विस्तारीकरण स्वीकृत किया गया है। चूँकि यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है अतः जिला प्रशासन के साथ विचार–विमर्श करके यह उचित पाया गया है कि इस क्षेत्र का एक प्रोजेक्ट तैयार करते हुये इस पूरी पटरी का सौन्दर्यीकरण करते हुये इस क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाते हुये हरिद्वार की जनता के लिये पार्क के रूप में एक अच्छा माडल विकसित किया जाये। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है, बेन्चें लगवायी गयी हैं एवं प्रकाश व्यवस्था भी की गयी है किन्तु सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोंण से यह अपर्याप्त है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से विचार–विमर्श के दौरान यह भी उचित पाया गया है कि इसका एक विशद प्रोजेक्ट बनाने के लिये समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्टें आमन्त्रित की जायें जिनमें इस क्षेत्र के विकास के साथ–साथ रख–रखाव का भी प्राविधान हो तथा इसकी Funding आंशिक रूप से प्राधिकरण द्वारा कराते हुये अन्य स्रोतों से भी जैसे Entry Fees इत्यादि लगाकर रख–रखाव के लिये संसाधन जुटाये जायें।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राज मार्ग विभाग से इस प्रयोजनार्थ स्थल का सीमांकन कराते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रकरण **एजेण्डा मद से समाप्त** किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25-07-2007

Secretary | Vice-Chairman | Chairman/Commissioner

(81)